पी. एण्ड एस. बैंक

राजभाषा अंकुर

सितंबर 2022

आज़ादी का अमृत महोत्सव

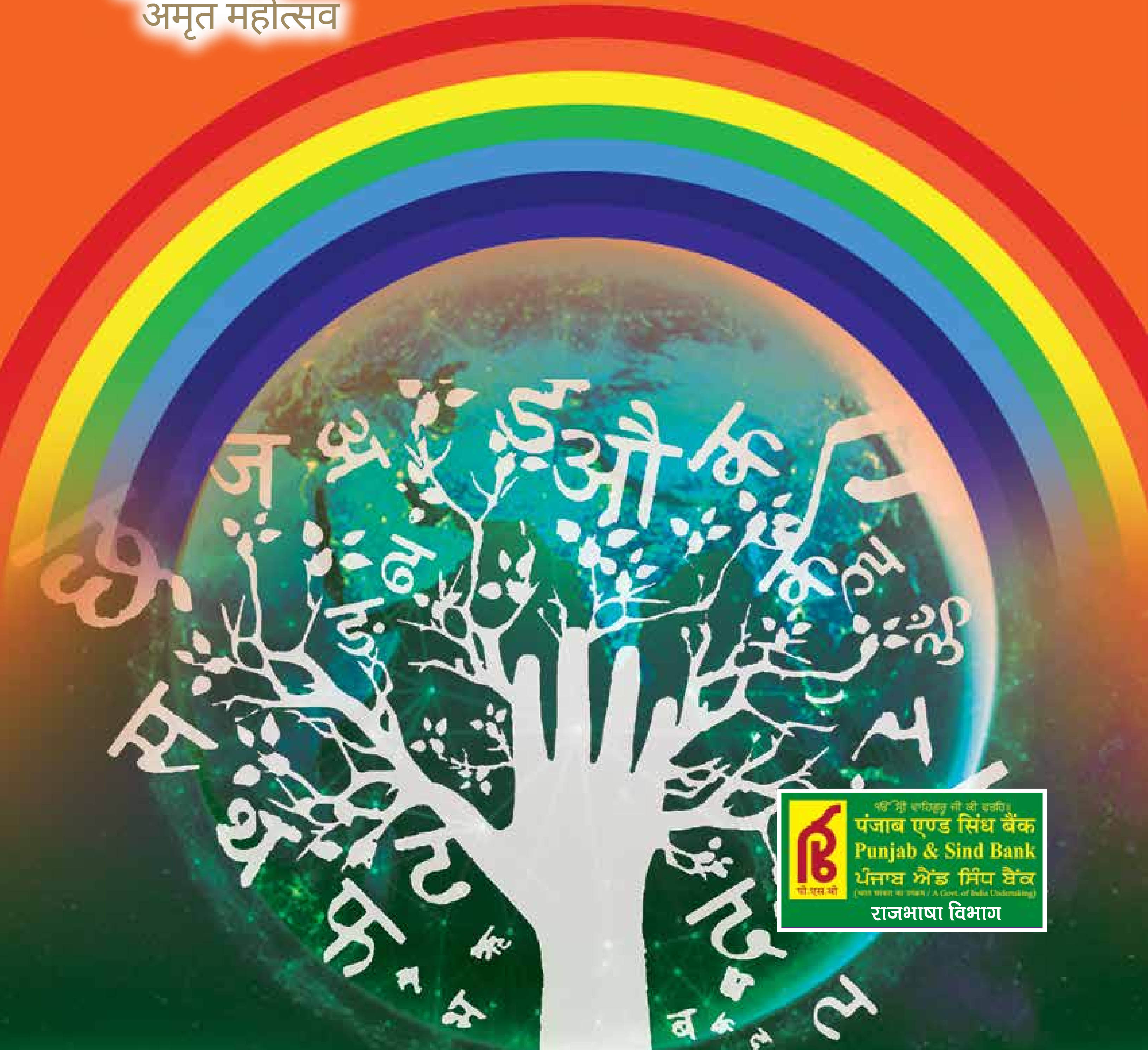

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)
राजभाषा विभाग

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

बी.सी. पटनायक
प्रबंध निदेशक
B. C. Patnaik
Managing Director

28 सितम्बर 2022

श्री स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नई दिल्ली

महोदय,

विषय : पंजाब एण्ड सिंध बैंक की तिमाही राजभाषा पत्रिका 'अंकुर' का जून 2022 अंक ।

मुझे आपकी राजभाषा पत्रिका अंकुर जून 2002 का संस्करण प्राप्त हुआ । मैंने पत्रिका की सामग्री का अध्ययन किया है और मैं पत्रिका के लेखों, कहानियों और कविताओं से प्रभावित हूँ। मैं उड़िया भाषा में एक लेख को हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित करने की पहल की भी सराहना करता हूं।

एलआईसी के पंजाब एंड सिंह बैंक के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की पत्रिकाओं और सूचनाओं के आपसी आदान-प्रदान से हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे।

मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम दोनों मिलकर व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए कार्य करेंगे।

भवदीय,

बी.सी. पटनायक
(बी. सी. पटनायक)

केन्द्रीय कार्यालय, "योगक्षेम", जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400 021.
दूरभाष (कार्या.) : +91-22-22021645, फैक्स : +91-22-22810680,
ई-मेल : mdbcp@licindia.com

Central Office, "Yogakshema", Jeevan Bima Marg, Mumbai - 400 021.
Tel. (O): +91-22-22021645, Fax: +91-22-22810680,
E-mail: mdbcp@licindia.com

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

बैंक हाउस, प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

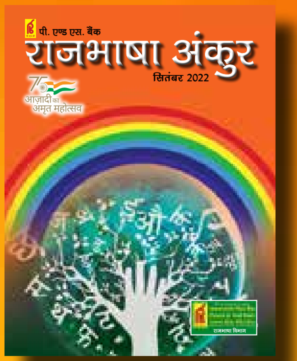

सितंबर 2022

मुख्य संरक्षक
श्री स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संरक्षक
श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र
कार्यकारी निदेशक

डॉ. रामजस यादव
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक
श्री कामेश सेठी
महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक एवं प्रकाशक
श्री निखिल शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल
श्री देवेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
श्रीमती मोनिका गुप्ता, प्रबंधक (राजभाषा)
श्री मोहन लाल, राजभाषा अधिकारी

ई-मेल : ho.rajbhasha@psb.co.in
पंजीकरण सं.: एफ.2(25) प्रेस. 91
(पत्रिका प्रकाशन तिथि : 30/10/2022)

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : जैना ऑफसेट प्रिंटर्स
ए 33/2, साइट–4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया,
गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश
फोन नं. : 98112 69844
ई-मेल: jainaoffsetprinters@gmail.com

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल / विषय-सूची	1
2.	हिंदी दिवस 2022 के अवसर पर माननीय गृहमंत्री जी का संदेश	2-3
3.	आपकी कलम से	4
4.	संपादकीय	5
5.	रुक जाना नहीं!	6-7
6.	अब और देर नहीं	8-10
7.	कार्टून-कोना	10
8.	ग्राहक के मुख से	11
9.	संसदीय राजभाषा समिति का तीसरी उपसमिति का उदयपुर दौरा	12-13
10.	हरित वित्त	14-16
11.	संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य समिति का दौरा	17
12.	भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष	18-20
13.	नराकास बैठक	21
14.	प्रधान कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा समारोह 2022	22-23
15.	राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका	24-25
16.	काव्य-मंजूषा	26-27
17.	डिजिटल भुगतान और यूपीआई	28-30
18.	सोशल मिडिया -एक नए युग का आरंभ	31-32
19.	हमें इन पर गर्व है।	33
20.	नराकास उपलब्धियाँ	34-35
21.	अंचल कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा समारोह 2022	36-37
22.	मूल मराठी लेख और उसका हिंदी अनुवाद	38-42
23.	बैंक में हिंदी / पंजाबी कार्यशालाओं का आयोजन	43
24.	राजभाषा संगोष्ठी	44

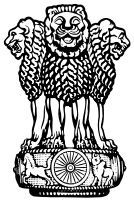

सत्यमेव जयते

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

प्रिय देशवासियो!

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

हमारा देश दुनिया भर में सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। देश की भाषाई संपन्नता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भाषाओं के लिए अलग से आठवीं अनुसूची का प्रावधान किया जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं रखी गयी थीं और अब इस आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत की सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं और अपना समृद्ध इतिहास भी रखती हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हिंदी ने जनमानस के मन में एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। यही कारण है कि आजादी के आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाकर आंदोलन को गति प्रदान की। 'स्वराज' प्राप्ति के हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में स्वभाषा का आन्दोलन निहित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महती भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश दिए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में हम नई ऊर्जा के साथ नये संकल्प ले रहे हैं, ऐसे में यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।

किसी लोकतांत्रिक देश में सरकारी कामकाज की भाषा तभी सार्थक भूमिका अदा कर सकती है जब देश के जन सामान्य से जुड़ी हो और प्रयोग करने में आसान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझते हों और जनसामान्य में लोकप्रिय हो। हिंदी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके साथ ही राजभाषा हिंदी में आवश्यकता के अनुसार शब्दावली निर्माण, वर्तनी के मानकीकरण किए गए और सरकारी कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति अपनाई गई। राजभाषा की इस विकास यात्रा में हमने कई लक्ष्य प्राप्त किए हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। विगत तीन वर्षों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी काम–काज में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयासरत है जिससे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिंदी का काम–काज तेजी से बढ़ा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में गृह मंत्रालय में ज्यादातर कार्य हिंदी में किया जाता है तथा कई अन्य मंत्रालयों में भी माननीय मंत्री भी अपना अधिकांश कार्य राजभाषा हिंदी में करते हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन की गति तीव्र करने और समय–समय पर किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु मई, 2019 में नई सरकार के गठन के पश्चात 57 मंत्रालयों में से 53 मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है तथा इनकी निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। देश भर में विभिन्न शहरों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से अब तक कुल 527 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है। विदेश में लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट लुई में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन को और मजबूत करने की दिशा में संसदीय राजभाषा समिति अपनी सिफारिशों के दस खंड माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है तथा 11वां खंड शीघ्र ही सौंपा जा रहा है।

राजभाषा विभाग द्वारा 13–14 नवंबर, 2021 को बनारस में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन तथा नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए पहला तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों से हिंदी प्रेमियों के उत्साह की अपार वृद्धि हुई है। यह और भी सुखद है कि हिंदी दिवस–2022 तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन गुजरात के सूरत शहर में हो रहा है।

गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली 'कंठस्थ' का निर्माण और विकास किया है जिसमें लगभग 22 लाख वाक्य शामिल किए जा चुके हैं। इस टूल का प्रयोग सुनिश्चित कर सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की गति एवं गुणवत्ता बढ़ाई गई है। राजभाषा विभाग द्वारा जन–साधारण के लिए 'लीला हिंदी प्रवाह' मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसे अपनाकर 14 विभिन्न भाषा–भाषी अपनी–अपनी मातृभाषाओं से निःशुल्क हिंदी सीख सकते हैं। राजभाषा विभाग के 'ई–महाशब्दकोश' में 90 हजार शब्द सम्मिलित किये गए हैं और 'ई–सरल' हिंदी वाक्यकोश में 9 हजार वाक्य शामिल हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को नई शिक्षा नीति मिली जिसमें मातृभाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी जा रही है। राजभाषा विभाग ने अमृत महोत्सव के अवसर पर विधि, तकनीकी, स्वास्थ्य, पत्रकारिता तथा व्यवसाय आदि सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को शामिल करते हुए हिंदी से हिंदी 'बृहत शब्दकोश' के निर्माण पर भी काम शुरू किया है और सुलभ संदर्भ के लिए एक अच्छे शब्दकोश का सृजन किया जा रहा है। इस तरह की उन्नत शब्दावली प्रशिक्षण, अनुवाद तथा शीघ्रता से ग्रहण करने में भाषा की जानकारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी।

हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता की अविरल धारा हमारी भाषाओं, संस्कृति और लोकजीवन में सुरक्षित रही है। भारत में स्थानीय भाषाओं का योगदान हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अतुलनीय रहा है। इन भाषाओं ने हिंदी को समृद्ध किया है। हिंदी उन समस्त भारतीय भाषाओं की मूल परंपरा से है जो इस देश की मिट्टी से उपजी हैं, यहीं पुष्पित–पल्लवित हुई हैं और जिन्होंने अपनी शब्द–संपदा, भाव संपदा, रूप, शैली और अपने पदों से हिंदी को लगातार समृद्ध किया है। राजभाषा हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं हैं बल्कि उसकी सखी है और हमारी सभी भाषाओं का विकास एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही संभव है।

प्रिय देशवासियो! हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आप और हम मिलकर यह संकल्प लें कि अपनी भाषाओं पर गर्व की अनुभूति हम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश–विदेश के मंचों पर हिंदी में उद्बोधन देते हैं जिससे सभी हिंदी प्रेमियों में उत्साह का संचार होता है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिभाशाली नेतृत्व में आने वाले 25 वर्षों को देश में अमृतकाल के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में भाषाई समरसता को ध्यान में रखते हुए हिंदी तथा हमारी सभी भारतीय भाषाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है।

आइये, आज संकल्प लें कि दैनिक कार्यों में, कार्यालय के कामकाज में अधिक से अधिक काम हिंदी तथा स्थानीय भाषाओं में करके दूसरों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें और संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करेंगे।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिंद!
नई दिल्ली
14 सितंबर, 2022

(अमित शाह)

आपकी कलम से

हमें हिंदी पत्रिका पी. एण्ड एस. बैंक "राजभाषा अंकुर" का जून, 2022 अंक प्राप्त हुआ। राजभाषा विभाग द्वारा अन्य विभागों की रचनाओं को सम्मिलित करना एक सराहनीय कदम है और हमें यकीन है कि यह और भी उन्नति की ओर बढ़ेगी।

पत्रिका बेहद ही रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक है तथा मूल उड़िया लेख 'सीख' एवं उसके अनुवाद के होने से पत्रिका अपनी विविधताओं को भी समेटे हुए है। पत्रिका के सफल संपादन हेतु समस्त संपादक मंडल बधाई का पात्र है।

–मलकीत सिंह
आँचलिक प्रबंधक, पटियाला

तिमाही हिंदी पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' के जून 2022 अंक की प्राप्ति पर मन हर्षित हुआ। स्वयं में विविध विषयों को समेटे हुई पत्रिका लगातार उन्नति की ओर उन्मुख है। महाप्रबंधक महोदय श्री जी. एस. ठाकुर जी का लेख 'हरित पहल से ही देश की समृद्धि संभव' प्रकृति संरक्षण को लेकर काफी प्रेरणादायक लगा। बैंकिंग और हिंदी के अन्योन्याश्रित संबंधों पर आधारित कई ज्ञानवर्धक लेख पत्रिका को एक नई उंचाई प्रदान करते हैं। 'काव्य–मंजूषा' स्तंभ में प्रकाशित कविताएं 'आज की नारी', 'हौसला', 'अनंत की ओर' हमारे जीवन के विभिन्न आयामों से परिचय कराती हैं। उत्कृष्ट लेखन–सामग्री और आकर्षक साज–सज्जा के लिए संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।
आगामी अंक की प्रतीक्षा में...

–अनिल रावत
आँचलिक प्रबंधक, होशियापुर

राजभाषा अंकुर का जून, 2022 का सुसज्जित अंक प्राप्त हुआ। सादर धन्यवाद!

विभिन्न रचनाओं, गतिविधियों को समाहित किए यह अंक अत्यधिक ज्ञानवर्धक और रोचक है। 'राजभाषा हिंदी की उपयोगिता एवं महत्व' लेख जहाँ राजभाषा हिंदी की महत्ता को दर्शाता है, वहीं ग्राहक सेवा का 115वाँ वर्ष लेख बैंक के ध्येय को बखूबी चरितार्थ करता है। सूचना प्रौद्यिगिकी एवं साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ व समाधान लेख के माध्यम से तकनीकी युग की बढ़ती चुनौतियों पर भी समुचित प्रकाश डाला गया है। समग्र रूप में यह अंक बहुत की सुरूचिकर है। सभी रचनाकारों और संपादक मंडल को साधुवाद!

–स. जसप्रीत सिंह
आँचलिक प्रबंधक, जालंधर

बैंक की हिंदी तिमाही पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का जून 2022 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में बैंक कार्मिकों की भागीदारी पत्रिका के साथ उनका जुड़ाव दिखाती है। यह एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से बैंक कार्मिकों की प्रतिभा और व्यक्तित्व में निरंतर विकास होता रहता है। लेखों तथा आंतरिक साज–सज्जा के अनुरूप ही पत्रिका का आवरण पृष्ठ आकर्षक है।

पत्रिका में समाहित श्री जी. एस. ठाकुर का लेख 'हरित पहल से ही देश की समृद्धि संभव' देश के संसाधनों के औचित्यपूर्ण उपभोग तथा दीर्घकालीन विकास पर बल देती है। बैंकिंग गतिविधियों के इर्द–गिर्द 'कार्टून–कोना' मन को गुदगुदाता है। शाखाओं तथा नियंत्रक कार्यालयों में बैंक के 115वें स्थापना दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ, बैंक संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता तथा ग्राहक–सेवा की भावना को प्रदर्शित करता है जिसके भाग के रूप में ग्राहक–सेवा से संबंधित लेख और 'ग्राहक के मुख से' जैसे स्तंभ को पत्रिका के इस अंक में स्थान दिया गया है।

राजभाषा हिंदी के प्रति बैंक का आग्रह तो पत्रिका के प्रत्येक अंक में रहता है लेकिन बैंक के आंतरिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग भी अपेक्षानुरूप ही हो रहा है। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा बैंक की कुल्लू शाखा के राजभाषाई निरीक्षण के उपरांत समिति के माननीय सदस्य श्री प्रतापराव जाधव द्वारा दिया गया प्रशंसा–पत्र इसका प्रमाण है जो पत्रिका के आवरण पृष्ठ के आंतरिक भाग में प्रकाशित है। पत्रिका में क्षेत्रीय भाषा के लेख और उसके हिंदी अनुवाद का प्रकाशन एक रचनात्मक कार्य है। अंत में पत्रिका के माध्यम से बैंक में कार्यरत समस्त हिंदीतर कार्मिकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सभी अपनी मातृभाषा में लेख, उसके हिंदी अनुवाद सहित पत्रिका में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराएं ताकि देश की क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा हिंदी के साथ जोड़ा जा सके।

पत्रिका के सफल संपादन के लिए संपादक मंडल को शुभकामनाएं!

–वी. पी. सिंह
(आँचलिक प्रबंधक)
अंचल कार्यालय दिल्ली–II

संपादकीय

प्रिय साथियो,

आजादी के अमृत महोत्सव काल के दौरान बैंक में आयोजित हिंदी पखवाड़ा–2022 की गतिविधियों को समेटे हुए पत्रिका का यह अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने वाले दिवस को स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष भी बैंक में प्रत्येक स्तर पर हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

हिंदी पखवाड़ा की दृष्टि से देश में वर्ष 2022 रचनात्मक रहा। केंद्र सरकार के समस्त कार्यालयों, बैंकों तथा उपक्रमों के लिए हिंदी दिवस का शुभारंभ, सूरत (गुजरात) में आयोजित हिंदी दिवस समारोह 2022 तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन से किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में व्याख्यान के लिए देश के उन प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया गया था जिन्होंने हिंदी के प्रति विशेष आग्रह रखते हुए अपने कार्यक्षेत्र में सफलताएं अर्जित की। बैंक की ओर से कार्यक्रम में मुझे भी सहभागिता करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।

भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में बसे भारतीयों को भी आपस में जोड़ने के कारण राजभाषा हिंदी निःसंदेह राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करती है। राष्ट्रीयकरण के समय से ही बैंक, राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत रहा है जो समय–समय पर इसके विभिन्न कार्यों में प्रदर्शित होता रहता है। हाल ही में बैंक के विभिन्न कार्यालयों में आयोजित अपने राजभाषाई निरीक्षण दौरे में संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति के माननीय सदस्यों ने बैंक के राजभाषा कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया है। राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में एक नवोन्मेषी कार्य करते हुए बैंक ने हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह 2022 के अवसर पर "अखिल भारतीय कवि सम्मेलन" का आयोजन किया जिसमें डॉ. रसिक गुप्ता, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, श्री कमलेश भट्ट कमल, श्रीमती सोनाली बोस तथा सरदार मनजीत सिंह आमंत्रित थे।

राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते बैंक का सदैव से ही प्रयास रहा है कि वह हिंदी भाषा को अपने बैंकिंग उत्पादों के प्रचार–प्रसार का माध्यम बनाएं ताकि अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादों की स्वीकार्यता में वृद्धि हो। आशा है हमेशा की भांति पत्रिका का यह अंक आपके लिए पठनीय व रुचिकर होगा। पत्रिका के इस अंक के लिए आपके सुझाव एवं प्रतिक्रिया प्राप्त कर मुझे प्रसन्नता होगी।

(कामेश सेठी)
महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

कामेश सेठी

रुक जाना नहीं!

यह पुरानी कहावत है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि हम ध्यान से सोचें तो गति ही परिवर्तन का कारण है। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रभाव का कारण उसका उद्गम बीज है। बीज कारण है, पौधे और वृक्ष प्रभाव हैं अर्थात बीज से ही पौधे और वृक्ष होते हैं। ये शनैः शनैः बढ़कर हमें फल और फूल प्रदान करते हैं। फल और फूल के बीज, बारंबार इस प्रक्रिया को दोराहते रहते हैं। इस जीवन में वही आगे बढ़ते हैं जो परिवर्तन की प्रक्रिया से भयभीत नहीं होते। वे भली–भाँति जानते हैं कि स्थिरता ही जड़ता, नीरसता और निष्क्रियता की जनक है। जो आगे नहीं बढ़ता है, नए अनुभवों का स्वागत नहीं करता है वह अपनी जीवन की ऊर्जा को गँवा बैठता है। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि जो कल तक महत्वपूर्ण वस्तुएं थी आज उनका कोई मूल्य नहीं रहा। यहाँ तक कि कल के प्रसिद्ध लोग आज में भुला दिए जाते हैं। जो इस जीवन में कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं उन्हें बीते को भूलना और आते हुए को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह जीवन रुकने के लिए नहीं मिला है। कितनी भी मुसीबत आए तब भी रुकना उचित नहीं। रुकने के स्थान पर प्रतिकूलताओं से लड़ने की मनःस्थिति बनानी आवश्यक है।

परिवर्तन का एक रूप मई–जून का महिना बैंकों में स्थानांतरण का महिना भी होता है और लोग अपने स्थानांतरण के लिए परेशान रहते हैं। बैंकिंग में सबसे दुखःदायी यदि कोई चीज है तो वो है स्थानांतरण। ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा जो इससे डरता ना होगा। बैंकिंग, स्थानांतरण के बिना चल ही नहीं सकती और कोई भी नियम इसको पूर्णता न्यायसंगत या एक समान नहीं बना सकता।

स्थानांतरण क्यों आवश्यक है

बैंकिंग पूर्णतः जोखिम से भरा हुआ है। यहाँ किसी भी अधिकारी को बहुत दिनों तक एक ही स्थान पर कार्य करने देना खतरनाक हो सकता है और इसका उदाहरण बैंकों में कई बार देखने को मिला है। दूसरा कारण हमारे देश की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ जो लोग बैंकों में कार्य करते हैं, वे लोग अधिकतर बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वोतर भारत इत्यादि से आते हैं लेकिन बैंकों की शाखाएं पूरे देश में होती है फिर हर एक व्यक्ति अपने घर के पास नौकरी करना चाहता है। इससे संतुलन बिगड़ जाता है और संतुलन बनाए रखने के लिए स्थानांतरण आवश्यक हो जाता है। फिर बारी आती है पदोन्नति की। लोगों की पदोन्नति भी जरूरी है और स्थानांतरण भी। पदोन्नति होने पर अधिकतर कर्मचारियों या अधिकारियों को अधिक दायित्व सौंपा जाता है और हो सकता है वह उसी शाखा में संभव ही ना हो। फिर कुछ लोग किसी शाखा में पूरी तरह से अपना दायित्व निर्वाह नहीं करते हैं

जिससे बैंक को विवश होकर अन्य स्थान में स्थानांतरण करना पड़ता है और उसकी जगह अन्य व्यक्ति को भेजना पड़ता है। इसके अलावा बैंकों को अनेक नियमों जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश, वित्तीय सेवाएं विभाग के दिशानिर्देश, बैंक की पॉलिसी इत्यादि का पालन करना पड़ता है। फिर अधिकारी की शारीरिक या व्यक्तिगत समस्या खड़ी हो जाती है जिससे उसे कहीं और जाना पड़ता है। विवाह के बाद की स्थिति कई बार व्यक्ति को जगह बदलने के लिए विवश कर देती है।

उपरोक्त कई ऐसे कारण हैं जो बैंकों को स्थानांतरण करने पर मजबूर कर देता है और अधिकारी दुखी होता है जब उसे मनचाही पोस्टिंग नहीं मिलती है। मनचाहा स्थान मिलना बैंकिंग में दुर्लभ है और बैंक में कार्य करने वालों के लिए ये ही सबसे बड़ी समस्या है, हालांकि बैंकों को इससे बहुत हानि भी होती है।

बैंकों को स्थानांतरण से होने वाली हानिः सबसे बड़ा नुकसान आर्थिक है। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, उनका एवं परिवार का यात्रा भत्ता बिल, होटल का बिल एवं अन्य खर्चों का बोझ बैंकों को झेलना पड़ता है। अधिकारियों को एक स्थान से अन्य स्थान जाने में समय बहुत लग जाता है और फिर कार्यग्रहण अवकाश में अधिकारी लगभग 7 से 8 दिनों तक बैंक में काम नहीं कर पाता है और इन दिनों तक उसकी उत्पादकता शून्य हो जाती है। इसी कारण बैंकों में प्रथम तिमाही में कोई बहुत अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। स्थानांतरण के कारण बैंकों के मानव संसाधन विकास विभाग का सारा समय इन्हीं कार्य में लग जाता है और कोई दूसरे आवश्यक कार्य नहीं हो पाते। कार्मिक भी असंतुष्ट रहते हैं जिससे उसके उत्पादकता में कमी आती है और बैंकों को परोक्ष व अपरोक्ष दोनों रूप में हानि होती है।

शिकायतेंः बैंकों में स्थानांतरण को लेकर कार्मिक अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि उसकी स्थानांतरण सही जगह हो गई, मेरी नहीं हुई, उसकी घर के पास में हो गई और मेरी दूर हुई। मेरे साथ तो हमेशा अन्याय ही होता आ रहा है, कोई मेरी सुनता भी नहीं है इत्यादि। बहुत शिकायत रहती है फिर लोग जहां तक हो सकता है, अपनी पहुँच बढ़ाने में लगे रहते हैं। कई बार तो राजनैतिक नेता से भी सिफारिश कराने लग जाते हैं। यहाँ ये बताना अति आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंकों का अपना अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियमन होता है जिसके अनुसार कोई भी कर्मचारी या अधिकारी किसी भी प्रकार का राजनैतिक या बाहरी प्रभाव नहीं लाएगा। इन सब बातों के बाद भी कई लोग प्रभाव डालने की कोशिश करते है जो गलत है और उसका परिणाम भी कई बार गलत ही होता

है, कई लोग तो स्थानांतरण के विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाने लगते है। प्रत्येक व्यक्ति यदि यही सोचेगा कि मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए और बैंक जो मर्जी करे तो शायद गलत होगा। बैंक हम सबका है और हमें ही इसे चलाना भी है। फिर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। यदि सभी अपने घर पर रहकर बैंक की सेवा करना चाहेंगे तो बैंक कैसे चलेगा ।

निष्कर्षतः बैंक कर्मचारी या अधिकारी देश की आर्थिक सेना का एक हिस्सा है और प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को इस बात को समझना चाहिए कि उसे एक ना एक दिन उस शहर को या स्थान को छोड़ना ही पड़ेगा यदि उसे आगे बढ़ना है तो। यह बात सोलह आने सही है कि स्टाफ को परेशानी तो होती ही है जब काफी दिनों के बाद पसंदीदा स्थान छोड़ना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से बैंकों के काफी प्रतिभासंपन्न लोग पदोन्नति नहीं लेते है और बैंकों में गुणवत्ता की कमी रह जाती है। सभी बैंकर्स के लिए यह जानना आवश्यक है कि बैंकों के (अधिकारी) विनियम में ये स्पष्ट उल्लिखित है कि "प्रत्येक अधिकारी को उसके बैंक के किसी भी कार्यालय या उसकी किसी भी शाखा या भारत में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।" इन सबसे परे अंत में मैं अपनी लेखनी को यह कहकर विराम देता हूँ कि गतिशीलता ही जीवन चेतना का सार है और स्थिरता मृत्यु, जड़ता का प्रतीक है। मुझे याद है कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने सेवानिवृत्ति के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा था कि वे बैंक द्वारा दी जाने वाली अवकाश किराया रियायत सुविधा का ठीक से उपभोग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि स्थानांतरण के दौरान बैंक ने ही उनको भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण का अवसर उपलब्ध कराया है।

महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी
प्रधान कार्यालय

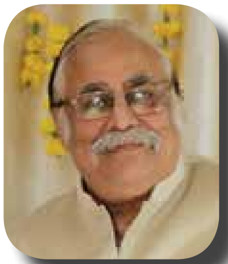

वी.एस. मिश्रा

अब और देर नहीं

कहते हैं कि कानून, कानून होता है और इसकी अवहेलना से सजा भी मिल सकती है और सामाजिक उपालंभ का शिकार भी होना होता है। भारतीय संविधान की उच्चता के संदर्भ से हम समाज, राज्य, देश, सरकार के इतिहास में सकारात्मक परिवर्तन के गीत भी गाते रहते है। उसी संविधान के भाग 17 में उल्लिखित विषय की भावनाओं के कितने विपरीत होने पर भी हमें अपनी संवैधानिक समझ पर रोष नहीं होता। फिर राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों की खिल्ली उड़ाते हुये भी हम 'कानून के अनुपालक' के रूप में दंभ भी भरते है और कानून को भी लगता होगा कि जिसका अनुपालन नहीं करने में लोग कितने तर्क–कुतर्क गढ़ लेते है तो ऐसे कानून की आवश्यकता ही क्या है। तो बात साफ हो जाती है कि भाषा के विषय में कानून की गरिमा भी खंडित हो जाती है।

एक वर्ष पूर्व इन्हीं दिनों में हिंदी पखवाड़े का महोत्सव मनाया गया। वाद–विवाद, प्रश्नावली, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन और 'हिंदीमय' वातावरण में संकल्पबद्ध भी हुये थे। ऐसा प्रतीत होता था कि अगले वर्ष में हिंदी भाषा के सार्वभौमिक प्रयोग का इतना विस्तार हो जायेगा कि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ हिंदी का प्रयोग करेगा और दो–तीन सौ वर्षों से चली आ रही अंग्रेजी की गुलामी का अवसान हो जायेगा। बड़े–बड़े बैनर, हिंदी के नारे और कुशल वक्ताओ का सारगर्भित भाषण सुनकर तो यही लगता है किंतु हमारी एक आदत है, जिनकी बातें न सुननी हो, न गुननी हो, जिसे हम चरितार्थ करने में असमर्थ हो, उसे एक 'दिव्य स्वरूप' देकर मंदिरों में स्थापित कर समय–समय पर उत्सव मनाते रहे। देवता भी संतोष कर लेंगे कि रोज–रोज नहीं तो कम से कम एक दिन या कुछ दिनों तक उन्हें आराधित होने का अवसर मिल ही जाता है। हमने हिंदी को भी वही 'दिव्य स्वरूप' प्रदान कर दिया है और पंद्रह दिनों तक जप–तप, संकल्प, पूजा–प्रसाद का आयोजन कर अपने कर्तव्य की इति कर लेते है। ठीक त्यौहार की तर्ज पर एक–दूसरे को बधाई देना, नामचीन कवियों के उदगार को उद्धृत कर देना और फिर सभी

आयोजनों का विसर्जन करके वापस अपनी लय में जाकर एक वर्ष के लिए विराम ले लेना। फिर वही अंग्रेजी में संवाद–प्रेषण, पत्राचार और निज मातृभाषा की अवहेलना करते हुये अपने ''विलायती'' होने के हुनर पर अभिमान करते हुये आह्लादित होते रहने की प्रवंचना में लीन होना।

इस काल–परिस्थिति में भी, अंग्रेजी के आक्रमण से क्षत हिंदी ने अपना अस्तित्व बचा कर रखा है तो यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि वह कौन सी आंतरिक शक्ति है जिसने 'कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी' के तौर पर हिंदी को जीवित रखा है। पहले उन बिंदुओं पर ध्यान देते है जो भाषा के रूप में हिंदी को अक्षम बताने के लिये कहा जाता है। एक बड़ा तर्क है कि हिंदी, विज्ञान सीखने के लिये उतनी सटीक नहीं है। जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि की शब्दावली जटिल है और उसका सुबोध हिंदी अनुवाद कठिन है। यह उस भाषा पर आरोप है जिसके व्याकरण में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों के लिए अनुराग के साथ उसके व्यावहारिक प्रयोग पर जोर दिया गया है। हिंदी के प्रबल पैरोकार भी यह मानते हैं कि कठिन हिंदी अनुवाद की जगह

ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार से समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। – विनोबा भावे

देवनागरी में लिखे गए विदेशज शब्द भी हिंदी व्याकरण में मान्य है।

दूसरा तर्क है कि हमारा देश बहुभाषी है और दक्षिण में हिंदी के प्रति रोष भी होता है जो राष्ट्रीय अखंडता के दृष्टिकोण से माफिक नहीं है। अतीत के पन्नों को पलट कर देखिए, दक्षिण में भी हिंदी की जननी संस्कृत के शब्द भी सम्मिलित है तो कोई कारण नहीं कि सरलीकृत संस्कृत, जिसे हिंदी कहते हैं, के लिये कोई मौलिक विरोध हो। फिर यह तो गर्व का विषय है कि हम बहुभाषी लोग हैं और हिंदी ने किसी भाषा के विकास में कभी अवरोध नहीं पैदा किया बल्कि हिंदी वह सशक्त माध्यम है जो अन्य भाषाओं को अधिक से अधिक लोगों तक सुगम्य बनाता है। तमिल, तेलुगू भाषी भी अपने साहित्य को हिंदी के माध्यम से सर्वदेशीय साहित्य के रूप में प्रसारित कर सकते हैं। यह तो राष्ट्र को एकजुट करता है कि विविध संस्कृति के मूल्यों को पूरा देश आत्मसात करे और यह पुनीत कार्य करने की क्षमता सिर्फ हिंदी में है।

तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह कानून की भाषा नहीं बताई जाती है। कानून की विशिष्ट पेचीदगी के नजरिए से हिंदी का प्रयोग मुश्किल है। इस तर्क को गढ़ने वाले भूल जाते है कि आज भी भारतीय कानून का आधार 'दायभाग' और 'मिताक्षरा' है और ये दोनो संस्कृत में वर्णित हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने इन कानूनों की उपादेयता देखते हुए अपनी समझ के लिये उसे अंग्रेजी में 'द कोड आफ जेन्टू ला' अनुवादित करवाया और फिर संहिताए लिखी गई जिनके मूल में भारतीय विधि साहित्य ही है। तो जिस विधि–विधान को स्वयं अंग्रेजो ने स्वीकार किया, उसे कानून सम्मत भाषा नहीं मानना भूल के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। कुल मिलाकर यह तो माना जा सकता है कि हमारी संकीर्ण सोच या फिर आलस्य या फिर ओढ़ी हुई विलायती चादर के दुष्प्रभाव के कारण हमने हिंदी भाषा के प्रयोग या उसे सार्वभौमिक, सर्वसुलभ, प्रयोज्य भाषा के रूप में उत्थित होने का अवसर नही दिया। सच तो है कि जिस भाषा के कामकाज में प्रयोग के लिए विधान का सहारा दिया जाए, प्रेरणा के लिए उत्सव मनाया जाये, उसका स्वाभाविक विकास मार्ग तो अवरूद्ध ही होगा।

आजादी की हीरक जयंती के अवसर पर आत्मावलोकन की आवश्यकता है कि जिस भाषा की मर्यादा के लिए सितंबर महीने में हम अपनी प्रतिबद्धता और जागरूकता का बिगुल बजाते रहते है, उसी भाषा के दैनंदिन कार्य में उपयोग के प्रति उदासीन क्यो हो जाते हैं। यह जानते हुये भी कि जिन जन सरोकारो से व्यवसाय को, प्रशासनिक व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाने में सहुलियत होती है, उसके लिये हमें विधान या आग्रह की क्या अनिवार्यता है। वह भाषा, जो परिवार, समाज में उन्मुक्तता का सृजन करता है, वही हमारे लिये कामकाज के समय दुरूह क्यों हो जाता है। जिस भाषा से परिवार में एकजुटता आती है, बच्चे, बड़ी सहजता से अपनी बात कहते हैं, वही भाषा सामाजिक अंतरक्रियात्मक व्यवहार में अनुपयोगी क्यों लगता है।

ऐसे प्रश्नों का उत्तर सहज है। पहला, हमारा विश्वास। अधिकारीगण स्वीकार ही नहीं करते हैं कि उनके प्रशासनिक आदेश अथवा

व्यावसायिक निर्णय को या फिर उनके द्वारा कही गई बात को हिंदी में प्रभावशाली ढंग से कहना मुश्किल है। यह भी माना जाता है कि हिंदी में किसी स्पष्टीकरण के लिए बहुत से शब्दो का प्रयोग करना पड़ता है और कई बार तो यह भी कि हिंदी में सटीक शब्दों का अभाव है। दूसरा कारण है, प्रोत्साहन का अभाव। हिंदी में शत–प्रतिशत कार्य कुशलता को प्रदर्शनी के तौर पर या फिर कानून के प्रावधानो से बचने के लिए हस्ताक्षर के तौर पर मान्यता दी जाती है पर उनकी भूमिका वही तक सीमित होती है। निरीक्षण काल समाप्त हुआ और हिंदी की प्रवीणता की अवहेलना शुरू। हिंदी के जानकार के विषय में यह भ्रांति भी है कि उन्हे अंग्रेजी नहीं आती और इस हीनभाव से मुक्ति का तरीका होता है, हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी अपना लिया जाए। सामाजिक परिवेश में तो प्रतिस्पर्धा है, अंग्रेजी में श्रेष्ठता सिद्ध करने का।

सबसे बडी बात है कि वर्ष–दर–वर्ष संकल्प के बाद भी जो इस संकल्प की पूर्ति में बड़ा बाधक है, वह यह है कि हमने हिंदी में काम किया ही नही है, झिझक सी हो गयी है। यह जानते हुये भी कि हमारा संप्रेषण हिंदी में अधिक प्रभावशाली होगा, हम झिझक जाते हैं क्योंकि हमने इसके लिये प्रयास ही नहीं किए। आवश्यकता है एक गंभीर प्रयास की। हम मान लें कि यही एक भाषा है जिसमें कामकाज करना है, विकल्प की जरूरत ही नहीं है। इस मूलमंत्र को समझ कर कोशिश हो तो हम सही तौर पर राजभाषा अधिनियम का भी अनुपालन कर सकते है और शायद बेहतर काम भी कर सकते है क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति में निष्ठा और ईमानदारी का सम्पुट होगा। इस प्रयास को और परिणामोन्मुख बनाने के लिए प्रत्येक इकाई को अपना योगदान देना होगा, चाहे वह कार्यालय प्रमुख हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो अथवा अधीनस्थ कर्मचारी। एक इकाई के तौर पर पूरी प्रणाली को व्यवस्थित करने का सहज मार्ग है अपनी मजबूतियों पर ध्यान देना और हमारी मातृभाषा को अपनी मजबूती बना लेने से संस्था और समाज का आत्मीकरण हो सकता है जो सकारात्मक व्यावसायिक प्रतिफल के रूप में समेटा जा सकता है। गलतियों से घबराना नहीं है क्योंकि गलतियां होंगी तो सुधार होगा।

भारत में एक मायानगरी है। वृद्ध, युवक, नर, नारी सब उसके मुरीद है। यहाँ के वाशिंदों ने हिंदी के स्वरूप को अलग प्रकार से समझा है। वह हिंदी कथानक बुनते है, विशाल हिंदीभाषी जनता के धनकोष पर इनकी नजर होती है पर अपने व्यक्तिगत जीवन में हिंदी के प्रति कोई आग्रह नहीं होता। वैसे ही भारत के कुलीन घरो में 'सरवेन्ट और स्पून' होता है। बच्चो की लिखाई–पढ़ाई में भी कोशिश होती है कि हिंदी की शब्दावली से बच्चे सुरक्षित बचे रहें। फिर वह वर्ग भी तो है जो मायानगरी के अथवा कुलीन जीवन–शैली का अनुकरण करते हुये हिंदी के प्रति उदासीन रहते हैं। माँ भारती की यह महान भाषा इतना सब आक्रमण झेलते हुए भी अगर अपने अस्तित्व को बचा कर रखने में समर्थ है तो उसकी एकमात्र वजह है, इस भाषा की आंतरिक शक्ति। इस भाषा को समझना सरलतम कार्य है। यह वह भाषा है जो हमें अपने परिवार, समाज, देश की परंपरा से जोड़कर रखता है। प्रेम हो, व्यथा हो या कोई दर्शन हो, पूरी सहजता से व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। 'बाप रे' में जो अभिव्यक्ति है, वह 'माई गौड' में आ ही नहीं सकता क्योंकि 'गौड' दूरस्थ है, निराकार है पर 'बाप' किसी भी दर्द को समझ लेने का साकार रूप है। हिंदी के शब्दकोष की विपुलता और मानव जीवन की दैनंदिन गतिविधियों से उसका समन्वय देखा जाए तो हिंदी का महत्व समझ में आता है। जरूरत है, हिंदी के इस विराट स्वरूप को लोकप्रिय बनाया जाए, उसके समावेशी स्वरूप को समझा जाए और तब हमारी राजभाषा की दिव्यता स्वतः स्थापित हो जाएगी।

सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक

कार्टून कोना

ग्राहक के मुख से

हनीश बंसल

वर्तमान युग में बिना बैंकिंग के जीवन की कल्पना तक संभव नहीं है। बैंकिंग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। वैसे तो बैंकिंग बहुत पुराने समय से ही हमारे जीवन में दस्तक दे चुकी थी किंतु इस समय में बैंकिंग क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित हो चुके हैं। बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग इतना बढ़ चुका है कि लोगों को बैंकों में जाने की जरूरत ही नहीं है।

एक वक्त था जब बैंक भी गिने–चुने थे और ग्राहक भी सीमित। उस दौर में लोग बैंक से भावनात्मक रूप से अपना जुड़ाव महसूस करते थे। कुछ ऐसा ही मेरे पिता जी श्री सुरेन्द्र पाल बंसल जी के साथ हुआ। उन्होने वर्ष 1997 में पंजाब एण्ड सिंध बैंक की आई टी आई शाखा जोकि वर्तमान में मॉडल टाउन, बठिंडा शाखा है, में अपना खाता खुलवाया। खाता ऐसा खुला कि बैंक में आने जाने के साथ–साथ बैंक के तत्कालीन स्टाफ के साथ रिश्ते भी गहराते चले गए। सभी स्टाफ सदस्यों ने भी बड़ा ही प्यार और सम्मान दिया। समय के साथ–साथ हमारा बिजनेस भी बढ़ने लगा व बैंक पर विश्वास भी।

पिताजी के उस दौर का बैंक से संबंध मेरे बिजनेस संभालने के साथ–साथ और भी गहराता चला गया। जब मैंने {हनीश बंसल (हनी)} बैंक आना–जाना शुरू किया तब तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्री सोहन लाल मीणा जोकि वर्तमान में जी टी रोड, बठिंडा शाखा में स्थानांतरित हो चुके हैं, के दौर में शाखा ने नए आयाम स्थापित किए। जिस प्रकार शाखा नए आयाम स्थापित कर रही थी वैसे ही हमारा व्यवसाय भी बढ़ रहा था। मैंने अपना घर बनाने के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक से आवास ऋण लिया। हमारी कंपनियों में मुख्य "बंसल ग्रुप ऑफ कंपनीज" है व इसके अधीन आज हमारी 10 व्यावसायिक फर्म हैं।

सभी फर्म आज भी पंजाब एण्ड सिंध बैंक मॉडल टाउन व जी टी रोड़ शाखा से जुड़ी हुई हैं। बाकी दूसरे बैंकों की अपेक्षा पंजाब एण्ड सिंध बैंक के साथ हमारा संबंध आज भी उतना ही गहरा है जितना की पिताजी के समय में था। वर्तमान समय में श्री आशीष बंसल जो इस शाखा में वरिष्ठ प्रबंधक हैं बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वर्तमान आंचलिक प्रबंधक श्री पवन कुमार भाटिया से भी मेरी मुलाकात हुई है, उनके मार्गदर्शन में शाखा का बिजनेस नए आयाम स्थापित कर रहा है।

अभी कुछ दिन पहले ही मेरे मन में आया कि एक नई गाड़ी लूँ, जिसको लेकर कई बैंक कई तरह की ऑफर भी दे रहे थे लेकिन पंजाब एण्ड सिंध बैंक की शाखा में प्रवेश करते ही दिल में आया कि गाड़ी लूँगा तो अपने बैंक से। मेरी प्रार्थना है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक अपनी "जहां सेवा ही जीवन–ध्येय है" पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें।

हनीश बंसल
प्रोपराइटर, बंसल ग्रुप ऑफ कंपनीज
बठिंडा (पंजाब)

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति का उदयपुर दौरा

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने 27 अगस्त, 2022 को बैंक की शक्ति नगर, उदयपुर शाखा का राजभाषाई निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शाखा में हो रहे कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर विस्तार से चर्चा हुई तथा माननीय सदस्यों ने निरीक्षण प्रश्नावली पर प्रसन्नता व्यक्त की। निरीक्षण कार्यक्रम में बैंक की ओर से शाखा प्रबंधक श्री शक्ति सिंह, आंचलिक प्रबंधक जयपुर श्री सुधीश वाजपेयी, अंचल कार्यालय जयपुर में पदस्थ राजभाषा अधिकारी श्री महेन्द्र मीणा, महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री कामेश सेठी तथा प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग में पदस्थ वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्री निखिल शर्मा उपस्थित रहे। साथ ही इस अवसर पर समिति के माननीय सदस्यों द्वारा बैंक की हिंदी तिमाही पत्रिका ”राजभाषा अंकुर“ के जून 2022 अंक का विमोचन किया गया।

छोटों के साथ सदव्यवहार करके ही बड़ा मनुष्य अपने बड़प्पन को प्रकट करता है। – कार्लाइल

मैं एक ऐसे धर्म में विश्वास करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता
और भाईचारे का प्रचार करता है। – चंद्रशेखर आजाद

अमित मोहन अस्थाना

हरित वित्त (ग्रीन फाइनेंस)

तेज आर्थिक विकास अक्सर पर्यावरण की कीमत पर हासिल किया जाता है। घटते प्राकृतिक संसाधन, खराब पर्यावरण और व्यापक प्रदूषण इत्यादि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं और स्थायी आर्थिक विकास के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं। पर्यावरण की रक्षा और उसमे पर्याप्त रूप से सुधार करने के लिए दुनिया भर के राष्ट्र पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि, इसके लिए पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ (Sustainable) परियोजनाओं को स्थापित करने व अपनाने के लिए और धन आबंटन में वृद्धि को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन संरचना की आवश्यकता है। एक बार जब निधि, पारंपरिक उद्योगों से मुक्त हो, हरित और पर्यावरण के अनुकूल क्षेत्रों में चला जाता है तो भूमि और श्रम सहित अन्य संसाधनों का भी उचित उपचार किया जा सकता है। यह अंततः संसाधनों के उपयुक्त आबंटन की ओर ले जाता है जो लंबे समय में सतत (Persistent) विकास का समर्थन करता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण के सभी हितधारकों को शामिल करते हुए प्रमुख देशों ने हरित वित्त पर लक्षित नीतियां बनाई हैं।

हरित वित्त (Green Finance) तेजी से सार्वजनिक नीति की प्राथमिकता के रूप में उभर रहा है। आर्थिक विकास की स्थिरता पर समग्र चर्चा अब हरित वित्त पर केंद्रीत है। हरित वित्त उन वित्तीय व्यवस्थाओं को संदर्भित करता है जो पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं या जलवायु परिवर्तन के पहलुओं को अपनाने के लिए हैं। सतत हरित वित्त को उन परियोजनाओं और व्यवसाय के लिए प्रावधान पूंजी और जोखिम प्रबंधन उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है जो आर्थिक समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जैसे–

1. पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परियोजनाओं में सौर, पवन, बायो गैस आदि जैसे अक्षय स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन शामिल है।
2. स्वच्छ परिवहन जिसमें कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन शामिल है।
3. हरित भवन जैसी ऊर्जा दक्ष परियोजनाएं।
4. अपशिष्ट प्रबंधन जिसमें पुनर्चक्रण, कुशल निपटान और ऊर्जा में रूपांतरण आदि शामिल हैं।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए स्थिरता (Stability) को अब केंद्रीय माना जाने लगा है। वित्त क्षेत्र के लिए

स्वच्छता और श्रम मनुष्य के सर्वोत्तम वैद्य हैं। – रोमसिन

यह अधिक सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ–साथ व्यावसायिक अवसरों के एक नए परिदृश्य का प्रतिनिधित्व भी करता है। वित्तीय क्षेत्र ने इस प्रवृत्ति को अपनाने में हालांकि देर कर दी है लेकिन यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में अभी भी उभर रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में नए मानक और आचार संहिता, कॉरपोरेट जवाबदेही, पारदर्शिता और पर्यावरण और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करने को बढ़ावा देने वाले नियम शीघ्र ही जरूरी हो जाएंगे।

हरित वित्त के प्रमुख अवयवः हरित वित्त में निम्न अवयवों को शामिल किया जा सकता है, यथा

- **ग्रीन लेंडिंगः** टिकाऊ परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण, जो पर्यावरण अनुकूलन को प्रोत्साहित करते हो।
- **ग्रीन बॉन्डः** ग्रीन बॉन्ड किसी भी संप्रभु संस्था, अंतर–सरकारी समूहों या गठबंधनों और कॉरपोरेट्स द्वारा जारी किए गए बॉन्ड हैं जिसका उद्देश्य है कि बॉन्ड की आय का उपयोग पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के लिए किया जाता है। भारत, एशिया–प्रशांत क्षेत्र में ग्रीन बॉन्ड के लिए छठे सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है। वर्ष 2021 में जारी किए गए हरित बॉन्ड की कुल राशि के संदर्भ में भारत से जारी निर्गम, विगत एक साल पहले की तुलना में 523% बढ़कर वर्ष के दौरान 6.8 बिलियन से अधिक हो गया।

भारत ने वर्ष 2007 की शुरुआत से ही हरित वित्त पर जोर देना शुरू कर दिया था। दिसंबर 2007 में, रिजर्व बैंक ने 'कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, सतत विकास और गैर–वित्तीय रिपोर्टिंग – बैंकों की भूमिका' नाम से एक अधिसूचना जारी की तथा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के महत्व का उल्लेख किया। सतत विकास के संदर्भ में राष्ट्रीय कार्य योजना को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक नीतिगत ढांचे की रूपरेखा को इस दृष्टि से तैयार किया गया। जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई का गठन वर्ष 2011 में वित्त मंत्रालय ने भारत में हरित वित्त के लिए जिम्मेदार विभिन्न संस्थानों के लिए एक समन्वय एजेंसी के रूप में किया है। तत्पश्चात वर्ष 2012 से ही यह एक प्रमुख रणनीतिक कदम है और इसमे स्थिरता प्रकटीकरण आवश्यकताओं का कार्यान्वयन भी शामिल है। भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए इसे प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया है एवं नियत समय में अन्य संस्थाओ को भी इसे प्रकाशित करना आवश्यक हो जाएगा।

इस समय दुनिया, कोविड–19 और वैश्विक आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव से उबर रही है। निःसंदेह तत्काल नीतिगत चुनौती वैश्विक अर्थव्यवस्था को किक–स्टार्ट करना है। हालाँकि महामारी ने सभी हितधारकों को उनकी नीतियों और वित्तीय व परिचालन रणनीतियों के बारे में पुनर्विचार करने का अवसर भी प्रदान किया है और एक ऐसे दृष्टिकोण को बल दिया है जो लंबे समय में पर्यावरणीय रूप से अधिक टिकाऊ हो। हरित वित्त निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण साधन है जो स्थायी आर्थिक विकास की ओर इस तरह के बदलाव को सुविधाजनक बना सकता है। हरित वित्त तेजी से सार्वजनिक नीति की प्राथमिकता के रूप में उभर रहा है। हाल के वर्षों में भारत में जन–जागरूकता और वित्तपोषण विकल्पों में कुछ सुधार हुए हैं। बेहतर सूचना प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से हरित परियोजनाओं के संबंध में जानकारी में वृद्धि हुई है। हरित परियोजनाओं के लिए जन जागरूकता और वित्तपोषण विकल्पों (बैंक ऋण और बॉन्ड जारी करने) दोनों का होना आवश्यक है। भारत में जन–जागरूकता और वित्तपोषण विकल्पों में काफी सुधार हुआ है, बेहतर सूचना प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से जानकारी में सुधार और हितधारकों के बीच समन्वय में वृद्धि, एक हरित और टिकाऊ दीर्घकालिक आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

इसके अलावा ग्रीन डेट सिक्योरिटीज के प्रकटीकरण में परियोजना के द्वारा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, टिकाऊ अपशिष्ट और जल प्रबंधन, टिकाऊ वानिकी और कृषि सहित टिकाऊ भूमि उपयोग और जैव विविधता इत्यादि सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समाहित किया जा रहा है।

ग्रीन परियोजनाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि संस्थाओ (वित्तीय और गैर–वित्तीय कंपनियों) द्वारा स्थिरता प्रकटीकरण किया जाए जिससे कंपनियों को समय–समय

पर अपने संचालन से ईएसजी अर्थात पर्यावरणीय, सामाजिक, शासन (ESG-Environmental, Social and Governance) लक्ष्यों से संबंधित जोखिमों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। जलवायु से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण {टीसीएफडी– Task Force on Climate - Related Financial Disclosure (TCFD)} पर की गई अनुशंसाओं को कॉरपोरेट्स द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी–20 द्वारा दिए गए दबाव के बाद इस तरह के खुलासे में और तेजी आई है।

बैंक, सभी कंपनियों की तरह अपनी गतिविधियों के माध्यम से सीधे व परोक्ष रूप से ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) का उत्पादन करते हैं। हालांकि, जीएचजी उत्सर्जन में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान ग्राहकों और परियोजनाओं जो जीएचजी उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं, के वित्तपोषण के माध्यम से अप्रत्यक्ष रहता है। चूंकि जलवायु को अब एक वित्तीय जोखिम के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए उस जोखिम के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी बैंकों, वित्त संस्थानों के जोखिम प्रबंधन विभाग पर ही है। भारत में भी वित्त संस्थाए हरित वित्त पर कार्य प्रारंभ कर चुकी है, सिडबी ने सतत विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सतत वित्त योजना नामक एक नई योजना शुरू की है जो ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ उत्पादन में योगदान करती है (लेकिन अंतरराष्ट्रीय या द्विपक्षीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत कवर नहीं होती है)। सभी सतत विकास परियोजनाएं जैसे अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), स्टार रेटिंग, हरित माइक्रोफाइनेंस, हरित भवन और पर्यावरण के अनुकूल लेबलिंग आदि इस योजना के दायरे के लिए लागू हैं।

निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने वर्ष 2031–32 तक कार्बन–तटस्थ बनने की अपनी योजना की घोषणा की है। इस पहल के तहत बैंक अपने उत्सर्जन, ऊर्जा और पानी की खपत को कम करने पर विचार कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने मौजूदा कार ऋणों की तुलना में 20 आधार अंक कम ब्याज–दर और लंबी चुकौती वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 'ग्रीन कार लोन' योजना शुरू की है। जलवायु परिवर्तन के आंकड़ों में अंतर, नीति–निर्माण के लिए एक चुनौती बन रही है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित डाटा में अंतराल भी अवरोध के रूप में उभरा है। केंद्रीय बैंकों के लिए प्रभावी मैक्रो–इकोनॉमिक, नीति–निर्माण में बाधा बनने का यह एक कारण भी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हाल ही में कहा "हम असामान्य रूप से जलवायु परिवर्तन की दीर्घकालिक चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। जटिल गतिकी, केंद्रीय बैंकों, नियामकों और पर्यवेक्षकों के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। जलवायु संबंधी जोखिमों का विश्लेषण करने के लिए जोखिम मूल्यांकन के तरीके और मॉडल, वर्तमान में प्रयोग करने योग्य डाटा की कमी के कारण सीमित हैं।" सतत व्यापार अभ्यास सुनिश्चित करने के साथ–साथ बैंकों को व्यवसाय के रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए ग्रीन वित्त प्रक्रियाओं और संरचना को विकसित करने की आवश्यकता है। स्थिरता प्रथाओं के द्वारा खुलासा करने से जोखिम और अवसरों के बारे में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी। नकारात्मक पारिस्थितिक, सामाजिक और शासन प्रभावों को कम करने के अलावा ब्रॉन्ड प्रतिष्ठा में भी सुधार होगा। अपशिष्ट प्रबंधन नीति बनाने, सुरक्षित कार्य पहल बनाने, निरंतर सीखने और वैकल्पिक ऊर्जा उपायों को अपनाने, हरित विधियों का उपयोग करके त्रिगुण आर (REDUCE, REUSE AND RECYCLE) के विचार को बेहतर बनाने से स्थिरता के लिए पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था पर काम और कार्रवाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी और यह दक्षता में भी सुधार सुनिश्चित करेगा।

भारतीय वित्त संगठनों को विशेष रूप से प्लास्टिक के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण और अग्रिम अपशिष्ट नीतियों को लागू करने वाले परियोजनाओं व पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए वित्त आवश्यकताओ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी के लिए सुरक्षित कार्य पहल, निरंतर सीखने और वैकल्पिक ऊर्जा उपायों का निर्माण पर वित्त आबंटन हो। सभी बैंकों के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि स्वयं के लिए हरित तरीकों का उपयोग करें और पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर काम और कार्यों के प्रभाव को कम कर दक्षता में सुधार सुनिश्चित करें ताकि व्यवसाय एक चिंता का विषय न बना रहे।

संकाय सदस्य
एसटीसी रोहिणी, दिल्ली

मनुष्य जीवन अनुभव का शास्त्र है। – विनोबा भावे

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति की विचार-विमर्श बैठक

दिनांक 08.07.2022 को माननीय संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) फरीदाबाद के सदस्य कार्यालयों के साथ विचार–विमर्श बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हमारे बैंक की शाखा अजरौंदा की शाखा प्रमुख श्रीमती शौंतल सिंह तथा अंचल गुरुग्राम से राजभाषा अधिकारी श्री रूप कुमार उपस्थित रहे।

शाखा प्रबंधक श्रीमती शौंतल सिंह माननीय संसदीय राजभाषा समिति के विशेष अतिथि श्री प्रदीप टम्टा का पुष्प कलिका भेंट कर स्वागत करते हुए।

गगनदीप कौर

भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष

भारतीय स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारा देश लभगग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम बना रहा। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए हमारे देश में बहुत सी लड़ाईयां लड़ी गईं। इन लड़ाईयों में बहुत से महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तब से लेकर अब तक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल एवं तकनीकी क्षेत्र की विकास यात्रा में देश ने अपनी एक पहचान बनाई है। 75 वर्षों की इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान बने हैं। आज भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में है। यह अनायास नहीं है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। बीते 75 सालों में अपनी अंदरूनी समस्याओं, चुनौतियों के बीच देश ने ऐसा कुछ जरूर हासिल किया है, जिसकी तरफ दुनिया आकर्षित हो रही है।

देश की स्वतंत्रता के लिए 1857 से लेकर 1947 तक क्रांतिकारियों व आंदोलनकारियों के साथ ही लेखकों, कवियों और पत्रकारों ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी गौरव गाथा हमें प्रेरणा देती है कि हम स्वतंत्रता के मूल्य को बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित रहें। प्रेमचंद की रंगभूमि, कर्मभूमि (उपन्यास), भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत–दर्शन (नाटक), जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त (नाटक) आज भी उठाकर पढ़िए, देश–प्रेम की भावना जगाने के लिए बड़े कारगर सिद्ध होंगे। वीर सावरकर की '1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम' हो या पंडित नेहरू की 'भारत एक खोज' या फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 'गीता रहस्य' या शरद बाबू का उपन्यास 'पथ के दावेदार' जिसने भी इन्हें पढ़ा, उसे घर–परिवार की चिंता छोड़ देश की खातिर अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए स्वतंत्रता के महासागर में कूदते देर नहीं लगी। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत–भारती' में देशप्रेम की भावना को सर्वोपरि मानते हुए आह्वान किया–

जिसको न निज गौरव न निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं, नर–पशु निरा है और मृतक समान है।।

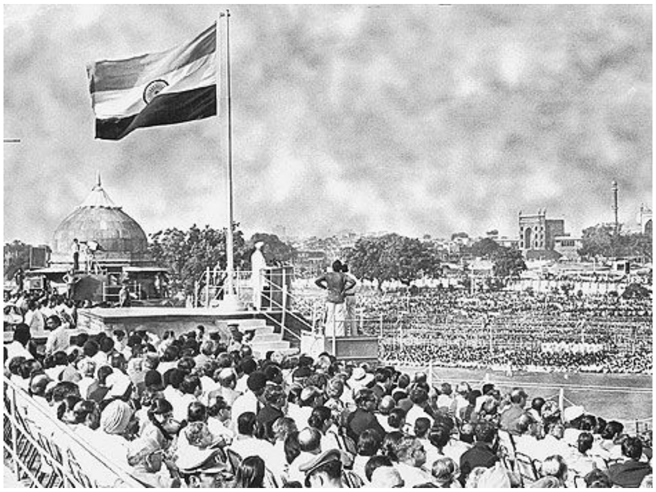

इन कवियों ने यह वीर रस वाली कविताएं सृजित कर रणबांकुरों में नई चेतना का संचार किया।

एक अवलोकनः 15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे राष्ट्रीय त्यौहार की तरह मनाया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों और सभी संस्थानों आदि में तिरंगा फहराया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों में इस दिन बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और हास्य, नाटक, नृत्य जैसे रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हमें आजादी तो मिल गई लेकिन वह आजादी आज किस रूप में है यह देखना जरूरी है। हमारे पूर्वजों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राजनेताओं ने आजाद भारत का जो सपना देखा था, उनकी नजरों में आजादी के जो मायने थे क्या उसके अनुरूप हम आगे बढ़े हैं यह भी जानना जरूरी है। संविधान में एक आदर्श देश की जो परिकल्पना की गई है उसे हम कितना साकार कर पाए हैं यह सोचना जरूरी है। नागरिकों से समाज और समाज से देश बनता है। एक बेहतर नागरिक एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। एक सजग समाज देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। सवाल है कि एक देश और व्यक्ति के रूप में आज हम कहां खड़े हैं, इसका अवलोकन करना जरूरी है। आजादी के

इन सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया है, आज इसकी भी बात करनी जरूरी है।

आस्था की मिशालः भारत जीवंत लोकतंत्र का एक जीता–जागता उदाहरण है। यहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों की आस्था है। विरोधी विचारों का सम्मान लोकतंत्र को ताकत देता आया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने एक परिपक्व देश के रूप में अपनी पहचान बनाई है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों पर गंभीर मतभेद रहे लेकिन इन मतभेदों ने लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि उसे मजबूती दी है। लोग अपनी पसंद से सरकारें चुनते आए हैं। भारत के लोकतंत्र में लोग ही अहम हैं। यह भारत की जीत है।

कल्याणकारी योजनाएंः आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए बीते दशकों में सरकारें जनकल्याणकारी नीतियां और योजनाएं लेकर आईं। योजनाओं का लाभ गरीबों एवं कमजोर वर्गों तक पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा जैसे कार्यक्रमों एवं योजनाओं ने आम आदमी को सशक्त बनाया है। इन महत्वाकांक्षी योजनाओं से विकास की गति तेज हुई लेकिन यह भी सच है कि सरकार की इन योजनाओं को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। फिर भी इन योजनाओं का लक्ष्य आम आदमी को राहत पहुंचाना ही है। इन विकास योजनाओं के बावजूद देश में गरीबी, पिछड़ापन दूर नहीं हुआ है। विकास से जुड़ी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। उदारीकरण के दौर के बाद भारत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। आर्थिक, सैन्य एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में इसने सफलता की बड़ी छलांग लगाई है। चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है।

आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। सैन्य क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। परमाणु हथियारों से संपन्न भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। मिसाइल तकनीकी में दुनिया, भारत का लोहा मान रही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने नए–नए कीर्तमान गढ़े हैं। मंगल मिशन की सफलता एवं रॉकेट प्रक्षेपण की अपनी क्षमता के बदौलत भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में महारथ रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल है। आईटी सेक्टर में देश अग्रणी बना हुआ है। इन उपलब्धियों ने देश को सुपरपावर बनने के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है।

विस्तारः वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता उसके आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। अंग्रेजों द्वारा किए गए विभिन्न हमलों और विमुद्रीकरण के कारण, देश बुरी तरह से गरीब और आर्थिक रूप से ध्वस्त हो गया था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद, भारतीय राजनीति के सभी नेता चिंतित थे कि व्यापार और निवेश के माध्यम से विदेशी शासन आर्थिक नियंत्रण के बहाने वापसी करेगा इसलिए ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, भारत ने आर्थिक स्वतंत्रता को अपनाया और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के साथ–साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में काम किया। पंचवर्षीय योजनाएं राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की पहल थी जो यूएसएसआर में मौजूद लोगों के साथ तैयार की गई थी।

पंचवर्षीय योजनाएं और भारतः 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, मुख्य रूप से कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। यह योजना हैरोड–डोमर मॉडल पर आधारित थी जिसने बचत और निवेश में वृद्धि के माध्यम से भारत की आर्थिक वृद्धि को गति दी। यह योजना सफल रही जिसने अर्थव्यवस्था को 3.6% की वार्षिक दर प्रदान की और 2.1% के लक्ष्य को भी पार कर गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तेजी से औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया और इस योजना ने एक तरह से आत्मनिर्भरता की नींव रखी।

"जून 1964 को श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंडित नेहरू के बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को प्रोत्साहन दिया। चीन के साथ युद्ध ने भोजन की कमी और बढ़ती कीमत को जन्म दिया था और उसे आश्वस्त करने के लिए भारत को कृषि पर ध्यान केंद्रित करने और निजी उद्यमों व विदेशी निवेशों के लिए अनुमति देने की आवश्यकता थी।" हरित क्रांति के परिणामस्वरूप 1978–79 में 131 मिलियन टन का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन हुआ। इसने भारत को दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित किया था। शास्त्री जी ने अपने कार्यकाल में यह भी तय किया कि भारत के पास चाय व रबर और इंजीनियरिंग उत्पादों तथा कृषि वस्तुओं का निर्यात शुरू करने के लिए पूंजी और क्षमता दोनों हैं।

मस्तिष्क का अपना एक अलग स्थान है। वह स्वर्ग को नरक में और नरक को स्वर्ग में बदल सकता है। – मिल्टन

आजादी के बाद अर्थव्यवस्थाः 1960 का दशक भारत के लिए विभिन्न आर्थिक चुनौतियों का एक दशक था। रुपये के अवमूल्यन ने सामान्य रूप से कीमतें बढ़ाई दी थीं। 19 जुलाई, 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अकेले बड़े व्यवसायों के विपरीत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण को बढ़ाना था।

जब पी.वी. नरसिम्हा राव ने 1991 में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला तब उन्होंने एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया, जिससे भारत की विकास दर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया व स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से जोड़ा, वहीं गावों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से शहर व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान देश में निजीकरण को उस रफ्तार तक बढ़ाया गया जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची। अटल जी ने 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखा मंत्रालय का गठन किया व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया।

आर्थिक प्रगति के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरुआत की।

सड़कों का विस्तारः भाग्य की रेखाओं की तरह सड़कें तरक्की का रास्ता होती हैं। देश में पहली बार प्रतिदिन 37 किमी नेशनल हाईवे 6 से 12 लेन के बनाये जा रहे हैं। आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को और अधिक किफायती बनाने के लिए "उड़ान योजना" अक्टूबर 2016 में शुरू की गई है। 5जी से जहां संचारक्रांति आई वहीं इसरो ने एक साथ 100 से ज्यादा उपग्रह प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड बनाया है। देश अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से 'मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर' की ओर बढ़ चुका है। आज भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। आज विश्व भारत को अग्रणी राष्ट्र एक संभावित महाशक्ति के रूप में देखता है। भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अग्रसर है और एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत कर रहा है।

निष्कर्षः यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष की हमारी गौरवशाली यात्रा यह उम्मीद जगाती है कि आने वाले समय में हम और अधिक तेज गति से आगे बढ़ेंगे और इस क्रम में उन सपनों को भी साकार करेंगे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं ने भी देखे और हमारी आज की पीढ़ी भी देख रही है। ये सपने हैं सक्षम, आत्मनिर्भर और समरस भारत के। एक ऐसे भारत के, जिसमें सभी सुखी और समृद्ध हों और सबके बीच सद्भाव हो। भविष्य के भारत का निर्माण करने के लक्ष्य की ओर बढ़ते समय हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि हम केवल 75 साल पुराने राष्ट्र नहीं हैं। हमारी संस्कृति और उसकी समृद्ध परंपराओं ने हमें विशिष्ट रूप में गढ़ा है इसलिए हमें उनका स्मरण भी करते रहना है और खुद को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में ढालना भी है, क्योंकि यही समय की मांग है।

जाहिर है कि आज भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है लेकिन इन सफलताओं एवं उपलब्धियों के बावजूद सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों में ह्रास हुआ है। व्यक्ति से लेकर समाज, राजनीति सभी क्षेत्रों में मूल्यों का पतन देखने को मिला है। सत्ता, पावर, पैसा की चाह ने लोगों को भ्रष्ट एवं नैतिक रूप से कमजोर बनाया है। राजनीति का एक दौर वह भी था जब रेल हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिया करते थे। एक वोट से सरकार गिर जाया करती थी। भ्रष्टाचार में नाम आने पर नेता अपना पद छोड़ देते थे लेकिन आज सत्ता में बने रहने के लिए सभी तरह के समझौते किए जाते हैं और हथकंडे अपनाए जाते हैं। नैतिक पतन के लिए केवल नेता जिम्मेदार नहीं हैं, मूल्यों में पतन समाज के सभी क्षेत्रों में आया है। इसके लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बेहतर समाज एवं राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। तभी जाकर एक बेहतर भारत और 'न्यू इंडिया' के सपने को साकार किया जा सकेगा।

प्रबंधक
आँचलिक कार्यालय गुरुग्राम

अच्छी संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। – कालिदास

नराकास बैठक

गुरदासपुर

22 अगस्त, 2022 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुरदासपुर की सातवीं छमाही बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय–I, दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) श्री नरेंद्र सिंह मेहरा उपस्थित रहे।

वार्षिक राजभाषा शील्ड योजना वर्ष 2021 के अंतर्गत विजयी सदस्य कार्यालयों को आंचलिक प्रबंधक गुरदासपुर श्री रशपाल सिंह के कर कमलों से शील्ड व प्रमाण–पत्र वितरित किए गए। उल्लेखनीय है कि बैंक की अध्यक्षता में नराकास गुरदासपुर का गठन किया गया है।

फरीदकोट

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दसवीं बैंठक का आयोजन 10 अगस्त, 2022 को होटल शाही हवेली, फरीदकोट में किया गया। इस अवसर पर विगत छमाही के दौरान नराकास के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को नराकास अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह गिल के कर कमलों से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब नैशनल बैंक, मंडल कार्यालय फाजिल्का के उप महाप्रबंधक श्री नरेश कुमार नागपाल भी उपस्थित रहे।

हिंदी पखवाड़ा समारोह 2022

आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में इस वर्ष भारत सरकार के समस्त कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, उपक्रमों इत्यादि के लिए हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ 14 सितंबर, 2022 को सूरत (गुजरात) से हुआ। बैंक के प्रधान कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा 2022 के दौरान अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनके विजेताओं को पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर माननीय कार्यकारी निदेशक श्री कोल्लेगाल वी. राघवेन्द्र के कर कमलों से पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा शील्ड

अंतर अंचल राजभाषा शील्ड – अंचल कार्यालय गुरूग्राम

अंतर विभागीय राजभाषा शील्ड – एसटीसी रोहिणी

पुरस्कार वितरण

भाग्य को वही कोसते हैं जो कर्महीन हैं। – पं. जवाहरलाल नेहरू

काव्य–संध्या

पखवाड़ा समापन समारोह–2022 को स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से 04 अक्तूबर, 2022 को बैंक के स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, रोहिणी, नई दिल्ली में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में काव्य–पाठ के लिए राष्ट्रीय स्तर के कवियों को आमंत्रित किया गया था जिनमें ड़ॉ रसिक गुप्ता, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, श्री कमलेश भट्ट कमल, श्रीमती सोनाली बोस तथा सरदार मनजीत सिंह शामिल रहे।

डॉ. चरनजीत सिंह

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका

आज भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तथा कानूनी तौर पर हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा स्वीकार करने के बाद भी हिंदी लागू करने के हमारे प्रयास कितने सार्थक हैं यह आत्ममंथन एवं आत्मचिंतन का विषय है, तो भी इतना तो निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है कि आज भी मूल प्रश्न यही है कि हिंदी किस तरह से लागू हो?

इन वर्षों में जहाँ इस संबंध में अनेक चूक हुईं, वहीं मेरे विचार में सबसे बड़ी भूल हमसे यही हुई कि हमने हिंदी की गाड़ी को अकेले ही खींचना चाहा। बार–बार ऐसे वाक्य ज्ञात या अज्ञात रूप से बोले गए कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा है, संभवतः हम राष्ट्रभाषा (ओं) और राजभाषा के अंतर को या तो ठीक तरह से समझ नहीं सके अथवा ठीक तरह से समझा नहीं पाए। हमने चाहते हुए या न चाहते हुए हिंदी के प्रति अतिमोह अथवा अति विमुखता का भाव अपनाया। शब्द–निर्माण में भी हमने या तो संस्कृत भाषा को आधार बताया या हिंदुस्तानी को। जब इन दोनों भाषाओं से हमारा काम न बना तो हमने अंग्रेजी का मुँह ताकता शुरू कर दिया। हम भूल गए कि हमारे पास एक दो नहीं बल्कि अनेकों क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियाँ एवं उप–बोलियाँ हैं। आठवीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलगू, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, हिंदी, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को स्थान देकर हमने अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली। संविधान निर्माताओं ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास, प्रचार एवं प्रसार का सारा दायित्व संबंधित राज्यों के सुपुर्द कर दिया और हिंदी को संघ राज्य की राजभाषा बता दिया।

संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य विधान मंडल नियम बनाकर उस राज्य में प्रयुक्त होते वाली किसी एक भाषा को या भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों की भाषा बता सकते हैं। अनुच्छेद 346 के अनुसार राज्यों के बीच किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग के चाहने पर उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति उस राज्य अथवा उसके भाग विशेष में मान्यता के लिए आवश्यक निर्देश दे सकेंगे।

अब ज़रा हम व्यावहारिक पहलू पर भी विचार कर लें। कल्पना कीजिए कि कर्नाटक स्थित किसी बैंक की एक शाखा उस क्षेत्र में स्थित अपने किसी ग्राहक को एक पत्र लिखता है। भारत सरकार का उपक्रम होते के नाते उसे भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार वह पत्र हिंदी में भेजना होगा, यदि वह पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो कर्नाटक के सुदूर ग्रामीण इलाके के उस ग्राहक के लिए इस पत्र में लिखा मसौदा काला अक्षर भैंस बराबर होगा। यदि यही पत्र हिंदी में लिखा जाता है तो भी कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि उस ग्रामीण ग्राहक को हिंदी पढ़वाने के लिए उतनी ही मशक्कत करती पड़ेगी जितनी कि अंग्रेजी के पत्र को पढ़वाने में करनी होगी। अतः यह उचित रहता कि संघ सरकार के कार्यालयों के बीच किए जाने वाले पत्र–व्यवहार

में मात्र हिंदी का उपयोग किया जाता और ग्राहकों के साथ किए जाने वाले वाले पत्र–व्यवहार उस क्षेत्रीय भाषा में किए जाते, जहाँ पर बैंक की संबंधित शाखा स्थित होती।

संभवतः हमारे संविधान निर्माताओं से अधिक दूरदर्शिता हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि "हमें अपने बच्चों को शिक्षा केवल उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा हमारे राष्ट्र के पाँव में बेड़ी बनकर पड़ी हुई है, अंग्रेजी के मोह से छूटना स्वराज का अनिवार्य और आवश्यक तत्व है, हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं प्रजा की 'हाय' अंग्रेजी पर नहीं पड़ेगी, बल्कि हम लोगों पर पड़ेगी। इस विदेशी भाषा के माध्यम ने राष्ट्रभाषा की शिक्षा हर ली है। उन्हें आम लोगों से दूर कर दिया है और शिक्षा को बिना कारण खर्चीला बना दिया है। यदि मुझे निरंकुश राज की सत्ता मिले तो मैं अपने बालकों को विदेशी भाषा के माध्यम से मिलने वाली शिक्षा तुरंत बंद कर दूँ और यदि शिक्षकों और अध्यापकों को भी बर्खास्त करना पड़े तो उस हद तक जाकर भी उनसे परिवर्तन कराऊं। पाठ्य–पुस्तकें तैयार हो जाएँ तब तक की प्रतीक्षा वाली स्थिति कभी न स्वीकार करूं। माध्यम परिवर्तन के साथ पाठ्य–पुस्तकें अपने आप तैयार होनी शुरू हो जाएंगी।"

मातृभाषा व्यक्ति को सायास ही आ जाती है, उसे सीखने के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता और वह अपनी बात को अधिक अच्छे ढंग से संप्रेषित कर सकता है। भाषा का मुख्य व्यापार भी तो यही है कि वह हमारे भावों और विचारों को वहन कर सके लेकिन हमने पूरा पाठ ही गलत पढ़ना एवं पढ़ाना आरंभ किया। बच्चों को पहले अंग्रेजी अथवा हिंदी में और अपवाद स्वरूप क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाता है, फिर से हिंदी का विकल्प उपलब्ध करवा देते हैं लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उसे केवल अंग्रेजी का ही माध्यम चुनना पड़ता है, परिणामतः सारा प्रयत्न एवं प्रयास भाषा के सीखने में चला जाता है और विषय–विशेष जिनका अध्ययन किया जाना है, वह मुख्य से गौण हो जाता है।

यदि हम वास्तव में भारत में हिंदी के प्रचार–प्रसार के इच्छुक हैं तो हमें अपनी समस्त क्षेत्रीय भाषाओं को अपने संग लेकर चलना होगा। यदि इसके लिए आवश्यक हो तो हमें अपने संविधान में कतिपय परिवर्तत भी कर लेना चाहिए। उन क्षेत्रों का निर्धारण कर लेना चाहिए जहाँ केवल हिंदी में कार्य किया जाएगा, जिसे कालांतर उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए अंग्रेजी के स्थान पर आरूढ़ किया जा सकता है लेकिन साथ ही साथ उन क्षेत्रों का चयन भी कर लेना होगा जहाँ केवल क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग ही मान्य होगा। हो सकता है मेरे इस सुझाव को मात्र सैद्धांतिक मानकर नकारने का प्रयास किया जाए, किंतु मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुश्किलों के बाद भी हमें यदि सफलता मिले तो वह सस्ती है। देश पर्यंत फैले राजभाषा अधिकारियों का एक विशाल दल हिंदी के रथ को ठेलने में लगा हुआ है। यदि क्षेत्रीय भाषाओं को साथ लेकर चलते हुए हिंदी प्रयोग को गति मिले तो सर्वदा उचित होगा।

हमें अपनी तुच्छ महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर विस्तृत परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा। हिंदी के शब्द भंडार को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द–भंडार से भरना होगा। ऐसी भाषाओं से हिंदी को मंडित करना होगा जिन भाषाओं से अपने राष्ट्र अपनी माटी की खुशबू आती हो, संभवतः तभी हमारा प्रयास पूर्ण होगा।

सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

रचनाकारों से निवेदन

रचनाकारों से निवेदन है कि बैंक के प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही तिमाही हिंदी गृह–पत्रिका "राजभाषा अंकुर" में प्रकाशन हेतु लेख भेजते समय लेख के अंत में अपना नाम, शाखा/कार्यालय का नाम व पता, मोबाइल नंबर तथा अपना बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अवश्य लिखें। इसके साथ ही लेख के संबंध में मौलिकता प्रमाण–पत्र और अपना फोटो भी उपलब्ध कराएं। सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य उपरोक्त के अतिरिक्त अपने घर का पता तथा स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) का भी उल्लेख करें।

–मुख्य संपादक

काव्य-मंजूषा

'क' से कविता

मैं भी लिखना चाहती हूँ,
'क' से कविता।
पर मालूम नहीं कैसे लिखी जाती है,
'क' से कविता।

कहते हैं कविता लिखने के लिए,
भावनाओं की आवश्यकता होती है,
पर क्या मेरी भावनाएँ कहीं विशाल जंगल में,
गुमराह पथिक के भाँति खो गई है.....
क्यों नहीं है मेरे अंदर भावनाएँ ?

कहते हैं....कविता में कवि के मन की व्यथा छिपि होती है।
पर क्या मेरे अंदर कोई व्यथा भी नहीं,
जिसे मैं कविता का रूप दे सकूँ ?
कहते हैं.....कविता मात्र प्रेमी हृदय ही लिख सकता है।
पर क्या मेरे अंदर प्रेम नाम का छोटा हृदय भी नहीं ?
जिसे मैं कलम का रूप देकर,
भावना रूपी स्याही से पन्नों को भर दूँ.....
क्यों नहीं.......आखिर क्यों नहीं मैं लिख पा रही मैं
'क' से कविता ?

मेरे पास न भावनाएँ हैं, न व्यथा कथा,
न प्रेमी–हृदय, न शब्द ।
फिर भी मैं लिखना चाहती हूँ 'क' से कविता।
क्योंकि मैं इस निरस पड़ी धरती के हृदय में,
प्रेम रस का संचार करना चाहती हूँ।

नैन्सी प्रसाद
राजभाषा अधिकारी
अंचल कार्यालय भोपाल

गुरू

जीवन के घोर अंधेरों में, उजाला हमें जो दिखाता है
हर कर सब दुख हमारे, खुशियों का सबेरा उगाता है।
उसकी महिमा का क्या बखान करें, जीवन की जो रीत सिखाता है
है गुरु बड़ा अनमोल जो पग–पग पर राह दिखाता है।।

परेशानियाँ जब हौसला गिराए, हारते हम हिम्मत जाएं
परिस्थितियाँ हो जाए बेकाबू, हालात हमें जब भटका दें।
ज्ञान सागर से भरा हुआ, जो सभी डर मिटाता है
है गुरु बड़ा अनमोल जो पग–पग पर राह दिखाता है।।

अज्ञानी को ज्ञान देता है जो, अलग हमें पहचान देता है जो
जब लगने लगे कि थक गए हम, नई ऊर्जा का संचार करे जो।
संकट में हंसना सिखाकर, कांटों पर चलना सिखाता है
है गुरु बड़ा अनमोल जो पग–पग पर राह दिखाता है।।

जिसके बिना कोई धर्म नहीं है, जिससे अच्छा कोई कर्म नहीं है
शिक्षा रूपी दीपशिखा का, घर–आंगन में प्रकाश करता है।
विद्या का वरदान देकर, गंभीरता का ज्ञान कराता है
है गुरु बड़ा अनमोल जो पग–पग पर राह दिखाता है।।

अपने पावन उपदेशों में, अनुभव की गंगा बहाता है
कोई साधारण इंसान नहीं वह, देश का भाग्य विधाता है।
संस्कारों की सीख देकर जो, महकता और महकाता है
है गुरु बड़ा अनमोल जो पग–पग पर राह दिखाता है।।

प्रथम गुरु माता–पिता है, दूजा ये संसार है
गुरु–कृपा यदि साथ हो तो जीवन धन्य अपार है।
दिव्य–ज्ञान की ज्योति जलाकर, जो मन को आलोकित कर देता है
है गुरु बड़ा अनमोल जो पग–पग पर राह दिखाता है।।

अनम चौधरी
प्रबंधक
शाखा खालसा कॉलेज, दिल्ली

साहित्य की उन्नति के लिए सभाओं और पुस्तकालयों की अत्यंत आवश्यकता है। – पं. सकल नारायण शर्मा

बड़ा सुहाना होता बचपन

बड़ा सुहाना होता बचपन
जिसमें दादी होतीं, दादा होते
नाना और नानी होते
उन सब की प्यारी कहानियाँ होती
दुनिया में लगता अपनापन,
बड़ा सुहाना होता बचपन।

पापा रोज मिठाई लाते
लड्डू और रसगुल्ले लाते
हम सब मिल–बाँट खाते
आपस में हम कभी न लड़ते
सब बैठते हैं एक ही आँगन
बड़ा सुहाना होता बचपन।

जब–जब बारिश आती
इंद्रधनुष से हमें मिलाती
हम सब मन ही मन मुस्काते
कागज की हम नाव बनाते
मिलकर सब हम लेते भोजन
बड़ा सुहाना होता बचपन।

रविवार जब छुट्टी आती
धमा चौकड़ी का मन लाती
चुन्नू–मुन्नू , गुड्डू–बब्लू
मिलकर शोर मचाते
खुशियाँ खूब लुटाते
दुनिया का सबसे प्यारापन
बड़ा सुहाना होता बचपन।

वैभव मिश्रा
राजभाषा अधिकारी
अंचल कार्यालय बरेली

मेरी कुछ इच्छाएं

मेरे जनम से पूर्व उस भगवान ने मुझसे पूछा
कोई ख़ास पसंद तेरी, जहाँ तुझे जाना हो।
धरती पे खिंची लकीरों से अनजान,
पहले तो मैंने उनकी तरफ देखा और फिर पूछा,
जहां कहूँगा वहाँ पक्का भेजोगे ना।

वो बोले मैं भगवान हूँ मैं मजाक नहीं करता।
काफी देर सोचने के बाद मैंने कहा,
वहाँ भेज दो मुझे जहां सभी इंसानों में प्यार हो ,
जहां दिवाली पे रौशनी और होली पे रंगो की बाहर हो ,
जहां भाई बहन के रिश्ते में पर्वतों सी शक्ति हो ,
जहां मिलजुल कर अल्लाह, नानक और राम की भक्ति हो।

इतना बोल कर मैं फिर सोच में पड़ गया
तो वो बोले बस इतनी सी है ख्वाहिश तेरी ?
मैंने कहा प्रभु आपके सामने संकोच कैसा,
अभी तो और भी हैं इच्छाएं मेरी।

जहां रंग–रूप के भेद को हृदय से दूर रख कर, सबको गले लगाया जाता हो,
और जहां नारियों को भी सम्मान में माँ का दर्जा दिया जाता हो,
जहां दुश्मनी नहीं, सिर्फ स्नेह और प्यार की भाषा में बात करी जाती हो ,
जहां दूसरों को हरा के नहीं बल्कि उन्हें जीत के विजय प्राप्त करी जाती हो ,
भगवान ने मुझे रोकते हुए कहा, मैं समझ गया तुझे कहाँ भेजना है।

और उन्होंने मुझे भेज दिया इस देश में, जहां गंगा सी पावन नदियाँ
और हिमालय सा विशाल विजेता हो,
अरब महासागर चरणों को धोता और प्रेम सभी में रिसता हो
जहां होली पे गुजिया मुस्लिम और ईद पे सेवैयाँ हिंदू की पसंद हो।
ऐसा ही कुछ है भारत देश मेरा, जिसके गुणगान के लिए अनंत भी एक सीमा है।

पंकज कुमार
प्रबंधक
प्रधान कार्यालय
प्राथमिकता क्षेत्र विभाग

आत्मविश्वास बढ़ाने की यह रीति है कि वह कार्य करो जिसको करते हुए डरते हो। – डेल कार्नेगी

विभाष कुमार

डिजिटल भुगतान और यूपीआई

पिछले पांच वर्षों में भारत का डिजिटल भुगतान परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। आज देश में 40 प्रतिशत भुगतान (मूल्य के आधार पर) डिजिटल हैं। डिजिटल भुगतान हेतु बुनियादी ढांचे में तेजी से विस्तार के कारण आज 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का डिजिटल भुगतान बाजार पहुंच गया है। डिजिटल भुगतान की अगली लहर टियर 3 से टियर 6 स्थानों (शहरों) से आने की संभावना है। मर्चेंट स्वीकृति का विस्तार, खुदरा बाजार, श्रृंखलाओं का डिजिटलीकरण और सुदूर पहुंच वाले क्षेत्रों में वित्तीय सेवा बाजार की स्थापना प्राथमिक कारक हैं जो भारत में डिजिटल भुगतान के तेजी से विकास को बढ़ावा देंगे। भारत का डिजिटल भुगतान बाजार एक विभक्ति बिंदु पर है और 2026 तक 3 ट्रिलियन डॉलर से 10 ट्रिलियन डॉलर अर्थात तीन गुना से अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है।

वैश्विक और भारतीय फिनटेक कंपनियां भारत में एंड–यूजर्स के बीच यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) अपनाने के प्रमुख वाहक रहे हैं जो एक बड़े क्यूआर–कोड आधारित मर्चेंट एक्सेप्टेंस नेटवर्क के निर्माण से सहायता प्राप्त है। यह उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, नवीन पेशकशों और एक खुले एपीआई पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यूपीआई के पिछले 3 वर्षों में लगभग 9 गुना लेनदेन की मात्रा में वृद्धि देखी गई है। यह इंगित करता है कि डिजिटल भुगतान को पूरे देश में सर्वव्यापी स्वीकृति प्राप्त हुई है जबकि टियर 1, टियर 2 शहरों में डिजिटल भुगतान की उच्च स्वीकृति देखी गई है। इन क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान अपनी पैठ बना चुका है। टियर 3 से टियर 6 शहरों में डिजिटल भुगतान अब जोर पकड़ रहा है। अब विकास की अगली लहर अब टियर 3 से टियर 6 शहरों से आएगी, जैसा कि पिछले दो वर्षों में देखा जा सकता है, जहां टियर 3 से टियर 6 शहरों में फिनटेक भुगतान कम्पनियाँ तेजी से नए ग्राहक को जोड़ रही है।

डिजिटल भुगतान का मेरूदंड यूपीआईः भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2012 में चार साल की अवधि के लिए एक विजन स्टेटमेंट जारी किया था जो भारत में एक सुरक्षित, कुशल, सुलभ, समावेशी, इंटर–ऑपरेबल और अधिकृत भुगतान और निपटान प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। यह घरेलू भुगतान बाजार में कागज के उपयोग को कम करने के लिए हरित पहल का हिस्सा है। इसी के मद्देनजर यूपीआई को सार्वजनिक उपयोग के लिए 2016 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था।

आरबीआई के मार्गदर्शन में एनपीसीआई एक नई भुगतान प्रणाली विकसित करने का कार्य करने वाला प्राथमिक निकाय बना जो सरल, सुरक्षित और इंटरऑपरेबल है। यूपीआई, फोर पिलर पुश–पुल इंटरऑपरेबल मॉडल पर काम करता है जहां प्रेषक/लाभार्थी फ्रंट एंड पीएसपी (भुगतान सेवा प्रदाता) और प्रेषक/लाभार्थी, बैक एंड बैंक होंगे जो उपयोगकर्ताओं के लिए मौद्रिक लेनदेन का निपटान करते हैं।

समाज और राष्ट्र की भावनाओं को परिमार्जित करने वाला साहित्य ही सच्चा साहित्य है। – जनार्दन प्रसाद झा द्विज

यूपीआई 2.0

16 अगस्त, 2018 को यूपीआई 2.0 लॉन्च किया गया था जिसने उपयोगकर्ताओं को अपने ओवरड्राफ्ट खातों को यूपीआई से जोड़ने में सक्षम बनाया। उपयोगकर्ता विशिष्ट व्यापारी के लिए एक आदेश जारी करके लेनदेन को पूर्व– अधिकृत करने में भी सक्षम थे। 2.0 संस्करण में लेनदेन के लिए चालान देखने और संग्रहीत करने की सुविधा शामिल थी। आवर्ती भुगतान के लिए ऑटो–पे सुविधा की एक अतिरिक्त सुविधा भी इसके माध्यम से है। 8 जून, 2022 से भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपे (RuPay) क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दी। ग्राहक अब फिजिकल कार्ड के अभाव में यूपीआई का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं।

यूपीआई 123 भुगतान

वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यूपीआई 123 भुगतान प्रणाली एक क्रांतिकारी पहल है। एनपीसीआई ने 2021 में फिनटेक स्टार्ट–अप उबोना टेक्नोलॉजीज के साथ इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) परियोजना के तहत यूपीआई भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र पर कम कनेक्टिविटी क्षेत्रों में फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए वॉयस–आधारित भुगतान सेवा विकसित करने पर काम करना शुरू कर दिया। यह सिस्टम, पीयर–टू–पीयर (पी 2 पी) लेनदेन के लिए दो–चरण प्रमाणीकरण (दो एफए) प्रवाह के साथ डुअल टोन मल्टी–फ्रीक्वेंसी (डीटीएमएफ) सिग्नलिंग तकनीक का उपयोग करेगा। 8 मार्च, 2022 को आरबीआई ने यूपीआई 123 पे नामक सेवा शुरू की जिसका उद्देश्य लगभग देश में 40 करोड़ फीचर फोन उपयोगकर्ता की मदद करना है। अब तक, यूपीआई भुगतान केवल स्मार्टफोन पर भुगतान एप्लिकेशन और फीचर फोन के लिए यूएसएसडी–आधारित सेवा के माध्यम से ही संभव था।

हम सभी जानते हैं कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक रीयल–टाइम भुगतान प्रणाली है जो एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेजने या अनुरोध करने की अनुमति देती है। किसी भी यूपीआई क्लाइंट ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है और एक ही ऐप से कई बैंक खाते जोड़े जा सकते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) या यूपीआई आईडी का उपयोग करके पैसा भेजा या अनुरोध किया जा सकता है जो अपने ग्राहक को लिंक्ड मोबाइल नंबर का उपयोग करके बैंक खाते से पैसे भेजने या अनुरोध करने में मदद करता है। संपर्क रहित भुगतान के उद्देश्य से यूपीआई प्रत्येक उपयोगकर्ता खाते के लिए एक विशिष्ट क्यूआर कोड भी तैयार करता है।

आरबीआई के निर्देश के अनुसार यूपीआई मोबाइल ऐप को दिसंबर 2021 से ऑन–डिवाइस वॉलेट सुविधाओं का समर्थन करना होगा। इन–बिल्ट वॉलेट बुनियादी ढांचे का उपयोग कम मूल्य के तत्काल भुगतान में मदद करेगा। यूपीआई लाइट बिना इंटरनेट कनेक्शन के क्यूआर कोड को स्कैन कर सकता है। यूपीआई लाइट डेबिट लेनदेन को ऑफलाइन संसाधित करेगा जबकि क्रेडिट तब होगा जब डिवाइस ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन अंतिम लक्ष्य ऑफलाइन मोड के माध्यम से क्रेडिट और डेबिट लेनदेन दोनों को प्राप्त करना है। यूपीआई लाइट ऑन–डिवाइस वॉलेट की ऊपरी सीमा ₹2,000 है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की वेबसाइट उन बैंकों को सूचीबद्ध करती है जो यूपीआई की सुविधा प्रदान करते हैं। भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) में वे शामिल हैं जिन बैंकों के पास लेन–देन की सुविधा के लिए अपना मोबाइल एप्लिकेशन है और जारीकर्ता में वे बैंक शामिल हैं जिनका भुगतान इंटरफेस नहीं है और वे यूपीआई का उपयोग करके लेनदेन के लिए तृतीय–पक्ष सॉफ्टवेयर पर निर्भर हैं।

e-RUPI या e ₹UPI (इलेक्ट्रॉनिक रुपया और UPI का पोर्टमैंटू) वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे 2 अगस्त 2021 से पेश किया गया था। e-RUPI कल्याण सेवाओं की लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बिचौलियों को दरकिनार करने के लिए है। निजी

क्षेत्र इस सेवा का उपयोग अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल (सीएसआर) के लिए कर सकते हैं। ई–आरयूपीआई मूल रूप से क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग पर आधारित ई–वाउचर है जिसे मोबाइल फोन के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। ई–आरयूपीआई भविष्य के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के अग्रदूत के रूप में कार्य करेगा जिसे आरबीआई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के भीतर अंतराल को उजागर करने में मदद करेगा।

वित्तीय सॉफ्टवेयर और सिस्टम (एफएसएस) ने 1 दिसंबर, 2021 को समाज के वित्तीय रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों के लिए ई–आरयूपीआई को एकीकृत किया। कर्नाटक सरकार ने ई–आरयूपीआई के माध्यम से विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप की है जिसे फीचर फोन पर भी प्राप्त किया जा सकता है। यूपीआई के प्रभावी होने के उपरांत लेनदेन में सुगमता के कारण आए बदलाव को इन दो उदाहरणों से समझा जा सकता है:

- **इक्विटी और म्यूचुअल फंडः** वित्त वर्ष 2021 में इक्विटी और म्यूचुअल फंड निवेश में तेजी से वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में लगभग 73 मिलियन डीमैट खाते सक्रिय हैं जो तीन साल पहले के 36 मिलियन के दोगुने से अधिक हैं। इसके साथ ही इक्विटी बाजार में खुदरा निवेशक आधार में चार साल पहले के 1.2 करोड़ से 8 गुना से अधिक का उछाल देखा गया है जो आज लगभग 100 मिलियन निवेशकों तक पहुंच गया है। हालांकि, इस वृद्धि के बावजूद भारतीय आबादी अभी भी कम पहुंच रही है। केवल 7–8% आबादी ही शेयर बाजार में भाग लेती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका (55%) और यूके (33%) जैसे देशों की तुलना में काफी कम है।

- **फास्ट टैगः** फास्ट टैग 2014 में स्थापित, भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित है। यह सीधे प्रीपेड या फास्ट टैग से जुड़े बचत खाते से टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक का उपयोग करता है। पिछले वर्ष के 256 मिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 में कुल मिलाकर 435 मिलियन फास्ट टैग जारी किए गए थे। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक फास्ट टैग के माध्यम से 2.4 बिलियन बार भुगतान हुआ जिसमें ₹38,077 करोड़ लेनदेन किया गया। मार्च 2022 से फास्ट टैग के माध्यम से भुगतान ने ₹4,000 करोड़ मासिक लेनदेन को पार कर लिया।

डिजिटल भुगतान के आगमन के साथ, देश कैशलेस होने की कोशिश कर रहा है। वैश्विक स्तर पर, डिजिटल भुगतान में कुल लेनदेन मूल्य 2022 में 8,562 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। बदलते भुगतान परिदृश्य में यूपीआई की स्वीकार्यता काफी तेजी से बढ़ रही है। भारत यूपीआई एकीकरण के लिए 30 देशों के साथ बातचीत कर चुका है। कई देश इसे अपने देश में भी शुरू कर चुके है। यही यूपीआई की सफलता की कहानी है।

इस अभूतपूर्व वृद्धि के परिणामस्वरूप, डिजिटल भुगतान 2026 तक सभी प्रकार के भुगतानों का लगभग 65 प्रतिशत होगा, यानी 3 में से 2 लेनदेन (मूल्य के अनुसार) डिजिटल होंगे। भारत तेजी से डिजिटल भुगतान आधारित अर्थव्यवस्था बन जाएगा और क्यूआर कोड के बढ़ने के कारण विशेष रूप से खुदरा और फुटकर व्यापारी (ऑफलाइन सेगमेंट में व्यापारी) इस वृद्धि के सबसे महत्वपूर्ण वाहक के रूप में उभरेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मर्चेंट भुगतान जल्द ही व्यक्ति–से–व्यक्ति निधि हस्तांतरण से आगे निकल जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं कि डिजिटल भुगतान सभी प्रकार के वाणिज्य में अंतर्निहित हो गए हैं। हम एम्बेडेड भुगतान से एम्बेडेड वित्त तक प्रगति को भी देखेंगे। जैसे–जैसे अधिक से अधिक व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करना शुरू करेंगे, यह डिजिटल लेन–देन ट्रेल के निर्माण के कारण छोटे व्यापारियों के लिए क्रेडिट तक पहुंच में एक महत्वपूर्ण बदलाव को अनलॉक करेगा। धोखाधड़ी प्रबंधन को संबोधित करने, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और केवाईसी को सरल बनाने, बैंकों के तकनीकी बुनियादी ढांचे पर दबाव कम करने, भुगतान खिलाड़ियों के लिए बेहतर अर्थशास्त्र की अनुमति देने और अंत में, देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से ग्राहक विश्वास बनाने की निरंतर आवश्यकता है।

प्रबंधक (राजभाषा)
एसटीसी रोहिणी

साहित्य का स्रोत जनता का जीवन है। – गणेश शंकर विद्यार्थी

ज्योति राज गुप्ता

सोशल मीडिया – एक नए युग का आरंभ

"सोशल मीडिया" इसे एक आधुनिक युग कहना गलत नहीं होगा। आज हर जगह, हर क्षेत्र में इसका उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है। वास्तव में यह एक ऐसा जरिया है जो आज की व्यस्त दुनिया को सुलभ और सरल बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आखिर यह सोशल मीडिया है क्या? वास्तव में यह एक ऐसा मीडिया है जो बाकि सारे मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सामानांतर मीडिया) से अलग है। सोशल मीडिया इंटरनेट पर एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिससे व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी प्लेटफार्म (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंकेडिन, यू–ट्यूब, व्हाट्सएप आदि) का उपयोग कर लोगों तक पहुँच सकता है। आज सोशल मीडिया एक ऐसा साधन बन गया है जहाँ आम आदमी भी अपनी दिल की बात को दुनिया के सामने रख सकता है और इसके लिए उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका स्वरूप अन्य माध्यमों से बहुत अलग है। यह एक ऑन–लाइन आधारित वेबसाइट है जिसके माध्यम से जुड़कर आप सूचना प्रेषित एवं प्राप्त कर सकते है।

सोशल मीडिया के प्रकारः कम्युनिटी ब्लॉग, डिस्कशन ब्लॉग, शेयरिंग इकॉनमी नेटवर्क्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल रिव्यु साइट, इमेज शेयरिंग साइट, विडियो होस्टिंग साइट इत्यादि सोशल मीडिया के प्रकार कहे जा सकते हैं। आज के दौर में यह हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है जिसके बहुत सारे फीचर है। इसमें सूचनाएं प्रदान करना, मनोरंजन करना और शिक्षा प्रदान करना मुख्य रूप से शामिल है। इसकी इसी अहमियत/विशेषताओं को देखते हुए प्रतिवर्ष 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे मनाया जाता है। लोगों के बीच सरकारी योजनाओ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार इसके जरिए किया जा रहा है और सोशल नेटवर्किंग साइटों पर हर दिन बिना किसी लाग–लपट के योजनाओ के बारे में अपडेट किया जाता है।

सोशल मीडिया की लोकप्रियता में वृद्धि के परिणामस्वरूप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यू–ट्यूब जैसे प्लेटफार्म परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहने का एक साधन मात्र नहीं रह गए है। सोशल मीडिया का उपयोग विभिन्न ब्रांडो और कंपनियों द्वारा ग्राहकों के साथ बातचीत करने और अपने ब्रांडो को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। ब्रांड भी अपना ध्यान पारंपरिक से डिजिटल मीडिया की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं।

पारंपरिक मीडियाः दरअसल पारंपरिक मीडिया जिसमें प्रिंट मीडिया, फिल्म स्टूडियो, रेडियो, समाचार–पत्र और टेलीविजन शामिल है। पारंपरिक मीडिया मार्केटिंग को अक्सर आउट बाउंड मार्केटिंग के

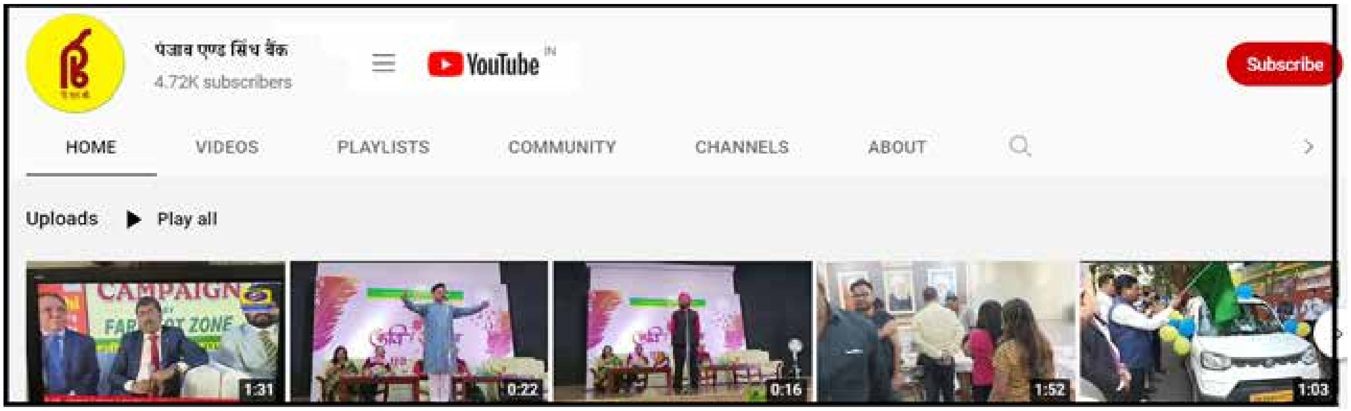

रूप में माना जाता है क्योंकि यह पारंपरिक मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है और बातचीत शुरू करने के बजाय ग्राहकों को संदेश भेजते हैं। पारंपरिक मीडिया के लक्षित दर्शक बड़े पैमाने पर गुमनाम जनदर्शक है और इस तरह के विपणन को एक तरफा संचार के रूप में वर्णित किया जाता है जबकि डिजिटल मीडिया ऑडियो या विजुअल इनपुट को डिजिटल फॉर्मेट में बदलना और कई रूपों में सूचनाओ के आदान प्रदान की अनुमति देने को शामिल करता है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग को इनबाउंड मार्केटिंग कहा जाता है जो इंटरनेट का उपयोग करके संभावित ग्राहकों को कंपनी की ओर आकर्षित करता है। नई तकनीकों के विकास के साथ डिजिटल मीडिया की तुलना में पारंपरिक मीडिया अपना प्रभाव खो रहा है। हाल के वर्षो में डिजिटल मीडिया के उदय के साथ पारंपरिक मीडिया में तेज गिरावट देखी गई है। सोशल मीडिया के प्रभाव को हम नीचे दिए गए डाटा से समझ सकते है।

- इंडियन रीडरशिप सर्वे 2019 के अनुसार, पारंपरिक मीडिया के जो उपभोक्ता 2017 में थे, उनमे 2019 (दो वर्षों के दौरान) तक बहुत कम वृद्धि हुई है जबकि इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या में 123% की वृद्धि हुई है।

- www.datareportal.com के सर्वे के अनुसार, जनवरी 2022 में भारत में 467 मिलियन सोशल मीडिया उपयोगकर्ता थे। 2022 की शुरुआत में भारत में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या, कुल आबादी के 33.4 प्रतिशत के बराबर थी। भारत में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या 2021 से 2022 के बीच 19 मिलियन (4.2 प्रतिशत) बढ़ी है।

- मेटा के विज्ञापन संसाधनों में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में 2022 में फेसबुक के 329.7 मिलियन उपयोगकर्ता हैं जो भारत की कुल आबादी के 23.5 प्रतिशत के बराबर है।

- गूगल के विज्ञापन संसाधनों में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में 2022 में यूट्यूब के 467.0 मिलियन उपयोगकर्ता थे जो भारत की कुल आबादी के 33.4 प्रतिशत के बराबर है।

- मेटा के विज्ञापन टूल्स में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत के इंस्टाग्राम के 230.3 मिलियन उपयोगकर्ता हैं जो भारत की कुल आबादी के 16.4 प्रतिशत के बराबर है।

- लिंक्डइन के विज्ञापन संसाधनों में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत के लिंक्डइन यूजर्स 83.00 मिलियन हैं जो भारत की कुल आबादी के 5.9 प्रतिशत के बराबर है।

- ट्विटर के विज्ञापन संसाधनों में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में ट्विटर के 23.60 मिलियन उपयोगकर्ता हैं जो भारत की कुल आबादी के 1.7 प्रतिशत के बराबर है।

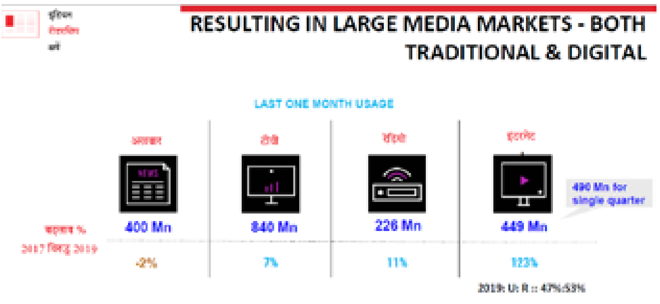

- स्नैपचैट के विज्ञापन संसाधनों में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में स्नैपचौट के 126.0 मिलियन उपयोगकर्ता हैं जो भारत में कुल आबादी के 9 प्रतिशत के बराबर है।

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा आज की पारिस्थिति के अनुसार भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के स्थान पर डिजिटल बैंकिंग और अन्य डिजिटल वित्तीय सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और लाखों लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच आसान पहुंच बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया इसमें सबसे महत्वपूर्ण चैनल है जो सभी बैंकों के लिए ग्राहक संबंध बनाने के लिए बहुत जरूरी माध्यम प्रदान करता है। ग्राहकों के समाधान की पेशकश करने, ब्रांड जागरूकता पैदा करने, ग्राहक आधार का विस्तार करने और मौजूदा व्यक्तिगत संपर्क बनाने के लिए सभी बैंकों द्वारा सोशल मीडिया पर नए उत्पाद का उपयोग किया जाता हैं। सोशल मीडिया न केवल नई योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बल्कि ग्राहकों की जरूरतों और कंपनी की बातों को सुनने के लिए भी संचार के एक इनोवेटिव माध्यम है।

मनुष्य के चरित्र की पहचान न केवल उसकी संगति से बल्कि उसकी बातचीत से भी हो जाती है। – जेम्स सरमन

पंजाब एण्ड सिंध बैंक भी ग्राहकों के साथ संबंधों को प्रोत्साहन देने और सबको जोड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करता है और अपने ग्राहकों के समस्याओं का तेजी से समाधान करता है। वर्तमान में पांच सबसे लोकप्रिय नेटवर्क फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन हैं। बैंक की सभी पाँच सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उपस्थिति है। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 20,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं जो हर दिन बढ़ते जा रहे है। बैंक प्रतिदिन अपने ऑफिसियल सोशल मीडिया पर बैंक के क्रिएटिव जैसे लोन प्रोडक्ट, डिपॉजिट प्रोडक्ट, सोशल स्कीम, महत्वपूर्ण दिन, गवर्नमेंट द्वारा प्रेषित स्कीम आदि को पोस्ट करता है जिससे हमारे ग्राहक हमसे जुड़े रहें और नए योजनाओ के बारे में अपडेट रहे।

सोशल मीडिया के इन सभी प्रभावों के बाद भी सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इसके कुछ दुष्प्रभाव भी है। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलु होते हैं, ठीक उसी प्रकार सोशल मीडिया के भी दो पक्ष हैं, सोशल मीडिया जहां सकारात्मक भूमिका अदा करता है वहीं कुछ लोग इसका गलत उपयोग भी करते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग दुर्भावनाएं फैलाकर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक और नकारात्मक जानकारी साझा की जाती है जिससे लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है और कई बार आपका निजी डाटा चोरी होने का खतरा रहता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओ में कोई संदेह नहीं है लेकिन उपयोगकर्ताओ को सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया का उपयोग पर अपने विवेक के अनुसार और सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए।

प्रबंधक
प्रधान कार्यालय जनसंपर्क विभाग

हमें इन पर गर्व है!

गत दिनों 'चढ़दी कला' समूह, पटियाला के संस्थापक पद्मश्री स. जगजीत सिंह दरदी के सौजन्य से 'स्व. स. सतबीर सिंह दरदी' जी की स्मृति में बैंक के सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) डॉ. चरनजीत सिंह को 'सरब कला दर्पण पंजाब' एवं 'विश्व बुद्धि–जीवी फोरम', पटियाला द्वारा 'ज्ञानी हरनाम सिंह दरदी' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार डॉ. चरनजीत सिंह को उनके पंजाबी/हिंदी साहित्य में दिए गए योगदान को देखते हुए प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन पटियाला के 'प्रभात परवाना यादगारी सभागार' में किया गया। 18 सितंबर, 2022 को आयोजित समारोह में डॉ. चरनजीत सिंह को शील्ड, शाल एवं प्रमाण–पत्र से सम्मानित किया गया है। डॉ. चरनजीत सिंह, बैंक से मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) के पद से सेवानिवृत्त हुए थे तथा लंबे अवधि तक राजभाषा विभाग के प्रभारी रहे।

इस उपलब्धि पर बैंक, डॉ. चरनजीत सिंह को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता है तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हम आशा करते हैं कि वे इसी प्रकार साहित्य–सेवा कर बैंक का नाम रौशन करते रहेंगे।

बच्चों का हृदय कोमल थाला है, चाहे इसमें कटीली झाड़ी लगा दो, चाहे फूलों के पौधे। – जयशंकर प्रसाद

नराकास उपलब्धियां

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक एवं बीमा कंपनियां), गुरुग्राम से अंचल कार्यालय गुरुग्राम को वित्तीय वर्ष 2021–22 का **प्रथम पुरस्कार** प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार प्रशासनिक कार्यालयों की श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया। छायाचित्र में, उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री कुमार पाल शर्मा जी एवं नराकास अध्यक्ष से राजभाषा शील्ड तथा प्रमाण–पत्र प्राप्त करते मुख्य प्रबंधक श्री नफे सिंह एवं राजभाषा अधिकारी श्री रूपकुमार।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक एवं बीमा कंपनियां), फरीदाबाद से बैंक की शाखा अजरौंदा को वित्तीय वर्ष 2021–22 का **प्रथम पुरस्कार** प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार शाखा श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया है। छायाचित्र में उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री कुमार पाल शर्मा तथा अध्यक्ष महोदय से शील्ड व प्रमाण–पत्र प्राप्त करते शाखा के सह–प्रभारी एवं स्टाफ सदस्य।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राँची से बैंक की मुख्य शाखा राँची को राजभाषा कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए **प्रथम पुरस्कार** प्राप्त हुआ है। छायाचित्र में नराकास अध्यक्ष से पुरस्कार प्राप्त करते हुए शाखा प्रभारी तथा स्टाफ सदस्य।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) पटना द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन एवं हिंदी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य–निष्पादन के लिए शाखा कार्यालय संवर्ग में बैंक की फ्रेजर रोड पटना को **द्वितीय पुरस्कार** प्रदान किया गया। छायाचित्र में नराकास अध्यक्ष से पुरस्कार प्राप्त करते हुए शाखा प्रबंधक श्री संजीव कुमार।

बच्चों को संवारना ही राष्ट्र को संवारना है। – शिवानंद

नराकास उपलब्धियां

भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आगरा (बैंक) द्वारा बैंक की शाखा हींग की मंडी, आगरा को शाखा कार्यालय श्रेणी में वर्ष 2021–22 के लिए **द्वितीय पुरस्कार** प्रदान किया गया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, खड़गपुर द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2021–22 में बैंक की शाखा खड़गपुर को शाखा कार्यालय वर्ग में **तृतीय पुरस्कार** प्राप्त हुआ। छायाचित्र में नराकास अध्यक्ष से शील्ड प्राप्त करते हुए शाखा प्रबंधक श्री डोलामणि मेहर।

बैंक के आँचलिक कार्यालय भोपाल को वर्ष 2021–22 में राजभाषा हिंदी में उल्लेखनीय कार्य के लिए बैंक नराकास, भोपाल द्वारा **प्रोत्साहन पुरस्कार** प्रदान किया गया। छायाचित्र में श्री हरीश सिंह चौहान, उप निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष, क्षेत्रीय कार्यालय

बैंक की मुख्य शाखा सूरत को राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) सूरत द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड योजना 2021–22 के अंतर्गत शाखा श्रेणी में **प्रोत्साहन पुरस्कार** प्राप्त हुआ। छायाचित्र में नराकास अध्यक्ष से शील्ड व पुरस्कार लेते हुए शाखा प्रबंधक सूरत।

अंचल कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा

अंचल कार्यालय गुरदासपुर

अंचल कार्यालय गुरुग्राम

अंचल कार्यालय जयपुर

अंचल कार्यालय दिल्ली 1

अंचल कार्यालय नोएडा

अंचल कार्यालय फरीदकोट

जिस देश को अपनी भाषा और अपने साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता। – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

समापन समारोह 2022

अंचल कार्यालय बठिंडा

अंचल कार्यालय बरेली

अंचल कार्यालय भोपाल

अंचल कार्यालय विजयवाड़ा

अंचल कार्यालय कोलकाता

अंचल कार्यालय गाँधीनगर

कल्लू ची आई

मूल मराठी लेख

नरेन्दर कुमार

कल्लूच्या आईचे खरे नाव तिच्या स्वभावाच्या पूर्णपणे विरुद्ध होते। त्याचं नाव होता–शांति। पण रोज गल्लीत कुणा ना कुणाशी भांडत असे। तीज सण कोणी पाहत नसे। कुणाशी भांडण झालं की रस्त्यावर फक्त त्याचाच आवाज यायचा– “बाप्कणा थे घांवना मेरा छोरा के पाछे पड़ो हो ... थमारा बेड़ा गरक होए थारो .... थारी माटी मिले ....” आणि मग विरोधी पक्षाचा आवाज ऐकू येत नव्हता. । तो राजस्थानच्या काही भागातून तिथे स्थायिक झाले होते। भांडणात कितीतरी वेळा त्याचा आवाज थांबायचा आणि मोठा व्हायचा।

त्याच्या बहुतेक लढाया त्याच्या मुलामुळे झाल्या, ज्याचे नाव कल्लू होते। कल्लू, ज्याचा रंग अगदी स्पष्ट होता किंवा त्याऐवजी तो खूप गोरा होता आणि चार बहिणींमधला तो एकुलता एक भाऊ होता, म्हणून त्याच्या आईला वाटले कि हे कोणी तिला वाईट पाहू नये, म्हणून त्याचे नाव कल्लू ठेवण्यात आले, जरी कल्लूचे नाव कागदपत्रांमध्ये होता - लक्ष्मी नारायण। शांतीच्या कुटुंबातील काही सदस्य पुढीलप्रमाणे होते। तिचा नवरा सोहन लाल, ती स्वत:, मोठी मुलगी कमलेश जी चुहिया म्हणून ओळखली जायची, मग तिची धाकटी मुलगी आशा, जिला तोतली म्हणायचे कारण ती थोडीशी हसायची, मग तिची धाकटी मुलगी ममता, ज्याला पांगा म्हटले जायचे। थो खूप खोडकर आणि बोलकी होती। त्यानंतर पुढची मुलगी दीपिका होती जिचा जन्मानंतर 2 महिन्यांनीच मृत्यू झाला, त्यानंतर आमचे कल्लू भाई म्हणजेच - लक्ष्मी नारायण।

सगळी मुलं सोहनलालला “दादा” म्हणायची। सोहनलाल हा पल्लेदारांचा ठेकेदार होता। ते चांगले काम होते, आवक चांगली होती, म्हणून त्यांनी वस्तीत प्रथम पक्के घर बांधले। पांढरा कुर्ता पायजमा, केस आणि मिशांमध्ये चमकणारे तेल, सडपातळ शरीर, पायात काळ्या चामड्याचे ज़ोड़े, छाती रुंद करून अशा उत्साहाने चालणे, जणू काही त्यांची बरोबरी नाही। कदाचित कल्लूच्या आईलाही या वस्तीतलं पहिलं पक्कं घर तिनं बांधल्याचा अभिमान वाटत असावा। ती नाकावर माशीही बसू देत नव्हती। खेळता खेळता मुलं त्याच्या घराबाहेर पोहोचली तर त्यांची अडचण व्हायची। दुसऱ्याने आपल्या मुलाला त्याच्यासमोर उभे केले तर त्यालाही ते सहन होत नव्हते।

काळाचे चाक फिरले, यंत्रे पल्लेदारांची कामे करू लागल्या। बाजारपेठेत मोठी वाहतूक वाहने आली आणि हळूहळू पल्लादरीचे काम कमी होत गेले। दरम्यान, ममताची (पांगा ची) तब्येत ढासळू लागली। तपासणीत असे आढळून आले की त्याच्या हृदयात छिद्र आहे, जे बरे करणे शक्य नव्हते आणि काही महिन्यांनंतर पांगा मरण पावली। मोठी मुलगी कमलेश (चुहिया) हिच्या पाठीवर लहानपणापासून कुबड होती। पंजाबमधील एका गावात तिचे लग्न झाले होते। तिच्या पतीचा एक पाय जन्मापासून निरुपयोगी होता। लग्नानंतर पहिल्या मुलाला जन्म देताना चुहियाने प्राण सोडले। चुहियाने एका मुलीला जन्म दिला होता, ज्याच्या

संगोपनासाठी तिच्या वडिलांनी पुन्हा लग्न केले। सोहनलालने त्याचा मुलगा कल्लू याला एका नामांकित खाजगी शाळेत दाखल करून घेतले, पण घरी आई-वडिलांच्या अत्यंत लाडामुळे कल्लूने अभ्यासाकडे कधीच लक्ष दिले नाही, परिणामी तो एकाच वर्गात दोनदा नापास झाला। नंतर कल्लूच्या वडिलांनी त्याला सरकारी शाळेत दाखल करून घेतले, पण कल्लूचं मन अभ्यासात कमी आणि भटकंतीत जास्त होतं। दरम्यान, सोहनलालची आर्थिक परिस्थिती ढासळत चालली होती। याच काळात सोहनलालने आपली मुलगी आशाचे लग्न लावून दिले। आता घरात फक्त कल्लू आणि त्याचे आई-वडील उरले होते। एके दिवशी काम करत असताना मशीनचा एक मोठा भाग सोहनलाल यांच्या पायावर पडला, त्यामुळे त्यांचा पाय पुन्हा पूर्वपदावर येऊ शकला नाही। त्याला आता हातात काठी घेऊन चालायचे होते आणि बहुतेक तो बाझवार रहाहयचा। आता कमाईची सर्व साधने बंद झाली होती। कल्लू आता जवळपास सतरा वर्षांचा झाला होता। तो शिकलेला होता नाही, म्हणून त्याने आपल्या मेव्हण्याकडे (आशाचा नवराकड़े) प्लंबर म्हणून काम करायला सुरुवात केली। पण दिवस आनंदाने घालवण्याएवढे उत्पन्न नाही होती। सोहनलालने कल्लूशी लग्न करून, त्याच्या नकळत गरिबीची गरिबी करून देली। काळ त्याच्या गतीने पुढे जात होता, कल्लूला दोन मुले झाले, मोठा मुलगा आणि धाकटी मुलगी। कल्लूला आता बेटिंग खेळण्याची आणि दारू पिण्याची वाईट सवय लागली। कधी कामावर जाणे, तर कधी दारू पिऊन घरी राहणे, ही तर एक सामान्य गोष्ट झाली होती। घरात भांडणे होत होती। कल्लूची बायको तिच्या दोन मुलांसह तिच्या माहेरच्या घरी गेली आणि परत आलीच नाही। कल्लूची आई जी कधीच शांत नव्हती, आता तिचा आवाज क्वचितच येतो। सोहनलाल यांची प्रकृती वारंवार खालावू लागली। कल्लू नालायक निघाला, शेजारच्या काही लोकांनी सोहनलालला काही दिवस आर्थिक मदत केली, पण किती दिवस कुणी मदत करणार। काळाच्या ओघात परिस्थिती बिकट होत गेली। कल्लूने खाजगी बसमध्ये कंडक्टरची नोकरी पकडली, पण वाईट सवयी सोडल्या नाहीत। कल्लूच्या पालकांना समजले की त्यांचा मुलगा चुकीच्या मार्गावर आहे आणि त्यांच्या कष्टाने कमावलेले धन, जे त्यांचे घर होते, तो कल्लूच्या वाईट सवयींना बळी पडू शकतो। त्याने एक मृत्युपत्र केले ज्यानुसार त्याने आपले घर, त्याच्या मृत्यूनंतर, आपल्या मुलीच्या (आशा) नावाने लिहिले।

वाईट परिस्थितीत, गरिबी आणि रोगराईमुळे सोहनलालने आपला जीव सोडला। कल्लूची आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट होती की शेजाऱ्यांनी मिळून सोहनलालच्या अंत्यसंस्काराचा खर्च केला। कल्लू आणि कल्लूची आई, आता फक्त दोनच जीव राहिले त्या घरात। कल्लूचा मेहुणा (आशाचा नवरा) कधी कधी तिला आर्थिक मदत करायचा आणि केलेली प्रत्येक मदत त्याच्यासोबत डायरीत लिहून ठेवायचा। अन्ना-दानाची कमतरता कायम राहिली। कल्लू रोज आईशी भांडत असे। कल्लूच्या आईची विधवा पेन्शन यायची, कल्लू तिच्याकडे दारू पिण्यासाठी आणि सट्टा खेळण्यासाठी पैसे मागायचा आणि ती न दिल्यास आईला मारहाण करायचा। शेजाऱ्यांनी मधला बचाव केला, पण ही प्रक्रिया जवळपास रोजचीच झाली, त्यामुळे शेजाऱ्यांनीही टाळाटाळ केली।

कल्लू त्याच्या आईला वारंवार, हे घर विकायला सांगत असे, त्यावरून त्यांच्यातील भांडण भडकले असते। कल्लूची आई म्हणायची “यो मेरा मुकान छे...में मेहनत करर या बनायो छे ....या कोणी बेचूँ .....”। दुसरीकडे, कल्लूच्या पत्नीने कल्लूपासून घटस्फोट घेतला आणि मुलांना आपल्याजवळ ठेवले। हे लोक दारिद्र्यरेषेखालील असल्याने त्यांना दर महिन्याला सरकारकडून रेशन मिळायचे, त्यात काही किलो गहू, तांदूळ आणि साखर उपलब्ध असायची। कल्लूची आई यातून घर चालवत असे। हे रेशन काही खाण्यासाठी आणि काही विकण्यासाठी वापरले गेले असते। कल्लूच्या आईने, कल्लूपासून वाचवले, मचानवर थोडे रेशन ठेवले होते। एके दिवशी कल्लूची आई, तुटलेल्या प्लॅस्टिकच्या खुर्चीवर चढून, घराच्या मचानवरून तोच गहू उतरवत होती, तेव्हा खुर्चीला कल्लूच्या आईचे आणि गहूचे वजन हाताळू शकली नाही आले आणि थो खुर्ची तुटली। तुटलेल्या खुर्चीचे प्लास्टिक एखाद्या धारदार

शस्त्राप्रमाणे कल्लूच्या आईच्या बरगडीत घुसले। तिला रक्तस्त्राव झाला। कल्लू घरी नसल्याने काही शेजाऱ्यांनी कल्लूच्या आईला शासकीय रुग्णालयात नेले। या अपघाताची माहिती आशाला मिळताच तिने आईला सरकारी रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळवून दिला आणि आपले घरी नेले। आईवर खासगी रुग्णालयात उपचार करून घेणार असल्याचे तिने सांगितले। सुमारे एक आठवड्यानंतर तिने तिच्या आईला परत आणले, जिच्या जगण्याची आशा नव्हती। दोन दिवसांनी त्याच जखमेवर योग्य आणि वेळेवर उपचार न मिळाल्याने कल्लूच्या आईचे निधन झाले। काही लोकांना असे समजले की आशा यांनी तिच्या आईवर कोणताही उपचार केला नाही।

बरं, आता कल्लू एकटाच होता। त्यांनी एका कॉल सेंटरमध्ये साफसफाईचे काम हाती घेतले। त्याचं आयुष्य चांगलं चाललं होतं, पण वाईट सवयींपासून मुक्त होणे खूप कठीण आहे असं म्हणतात। एके दिवशी त्याने कॉल सेंटरमधून कोणाचा तरी मोबाईल उचलला आणि काही लोकांना तो मोबाईल रस्त्यात सापडल्याचे अस सांगू लागला। शेजारी राहणाऱ्या महिलेने 200 रुपयांना तो मोबाईल तिच्या पासुण घेतला। साहजिकच या घटनेनंतर त्याला ही नोकरीही गमवावी लागली किंवा त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले असे म्हणणे योग्य ठरेल। कल्लू महाराजांचे दिवस पुन्हा खराब होऊ लागले। कधी कुणाकडून कर्ज मागून, तर कधी कुणाकडून, आपले दिवस घालवले। तो काही जुगारांना त्याच्या घरात जुगार खेळू द्यायचा, त्यासाठी तो त्याला काही पैसे दयायचे। याची माहिती कुणीतरी पोलिसांना दिली, कल्लूला पोलिसांकडून काही लाठ्या मिळाल्या आणि हे कामही थांबले।

वाईट सवयी आणि उपासमार यामुळे कल्लूची तब्येत ढासळू लागली आणि शेवटी कल्लू कुठे स्वर्ग कि नरक हे कळले नाही, पण थो तिथ निघून गेला। कल्लूच्या आई आणि वडिलांनी मोठ्या उत्साहाने आणि अभिमानाने बांधलेल्या घराची आशा नवीन मालकिन बनली। आशाचे स्वतःचे घर (सासर) तेथून दूर होते, त्यामुळे ती दोन्ही बाजू सांभाळू शकली नाही आणि म्हणूनच तिने आपले माहेरचे घर विकले।

ही कथा होती कल्लूच्या आईची आणि तिच्या कुटुंबाची। ही कथा खरंच कथा नाही। हे सर्व सत्य आहे आणि मी स्वतः या कथेचा साक्षीदार आहे। वेळ खूप सामर्थ्यवान आहे, या विधानावर माझा विश्वास आणखी वाढला आहे। आपण सगळेच आपापल्या आयुष्यात इतके व्यस्त होतो कि इच्छा असूनही काही करू शकत नाही। माझ्या बाबतीतही तेच झालं। कित्येकदा असं वाटतं की कल्लूच्या आईला हॉस्पिटलमध्ये नेलं असतं, तिच्यावर उपचार केले असतं, कदाचित ती वाचली असती, अजून काही दिवस जिवंत राहिली असती। पण मी माझ्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कामात व्यस्त होतो। मनातल्या मनात अपराधी भावनेने हा सगळा विचार करत कित्येकदा मी झोपी जाते। आजही कधी कधी कल्लूची आई स्वप्नात येते आणि म्हणते "........नन्हें (माझ्या घराचे नाव)...... माझ्या कल्लू ची काळजी घेशीन"। मी त्याला स्वप्नातही सांगू शकत नाही कि "आंटी जी तुमचा कल्लू आता राहिला नाही आणि तुमचे घरही विकले गेले आहे"।

--- वरिष्ठ प्रबंधक

प्रधान कार्यालय सतर्कता विभाग

नरेन्दर कुमार

कल्लू की माँ

(मूल मराठी लेख का हिंदी अनुवाद)

कल्लू की माँ का वास्तविक नाम उसके स्वभाव से बिलकुल विपरीत था। नाम तो उसका शाँति था पर गली में आए दिन उसकी लड़ाई किसी न किसी से होती रहती। कोई तीज त्योहार नहीं देखती। जब किसी से लड़ाई होती तो गली में सिर्फ उसी की आवाज सुनाई देती "बाप्कणा थे घांवना मेरा छोरा के पाछे पड़ो हो, थमारा बेड़ा गरक होए थारो, थारी माटी मिले" और फिर विरोधी पार्टी की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती थी। वह राजस्थान के किसी इलाके से वहाँ आकर बसे थे। लड़ाई में कई बार उसकी आवाज थम–थम कर तेज हो जाती।

उसकी लड़ाइयों का अधिकांशतः कारण उसका बेटा होता था जिसका नाम था कल्लू। कल्लू जिसका रंग काफी साफ था या यूं कहें कि वो बहुत गोरा था और चार बहनों में अकेला भाई था तो उसकी माँ को लगा कि इसको किसी की बुरी नजर ना लगे इसलिए इसका बोलचाल का नाम कल्लू रख दिया हांलाकि कल्लू का कागजों में नाम था – लक्ष्मी नारायण। शाँति के परिवार के सदस्य कुछ इस प्रकार थे। पति सोहन लाल, वो खुद, सबसे बड़ी बेटी कमलेश जिसे चुहिया कहकर पुकारा जाता था, फिर उससे छोटी बेटी आशा जिसे तोतली कहते थे क्योंकि वह थोड़ी तुतलाती थी, फिर थी उससे छोटी बेटी ममता जिसे पाँगा कहते थे और पाँगा बहुत नटखट और बातुनी थी, फिर थी अगली बेटी दीपिका जो जन्म के लगभग 2 महीने बाद ही चल बसी, उसके बाद थे हमारे कल्लू भाई यानी कि लक्ष्मी नारायण।

सोहन लाल को सभी बच्चे "दादा" कहकर बुलाते थे। सोहन लाल पल्लेदारों का ठेकेदार था। अच्छा काम था, आमद अच्छी थी इसलिए मुहल्ले में पक्का मकान सबसे पहले उसी ने बनवाया। सफेद कुर्ता–पायजामा, बालों में और मूंछों पर चमकता तेल, पतला शरीर, पैरों में काली चमड़े की जूतियाँ, सीना चौड़ा कर ऐसे रौब से चलते जैसे उनका कोई सानी ना हो। कल्लू की माँ को भी शायद इसी बात का घमंड था कि मुहल्ले में सबसे पहले पक्का मकान उसी का बना। वह अपनी नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती थी। बच्चे खेलते हुए यदि उसके घर के बाहर पहुँच जाते तो उनकी आफत आ जाती। कोई और उसके सामने अगर अपने बच्चे की बढ़ाई करे, यह भी उसे बर्दाश्त ना था।

समय का पहिया चला, पल्लेदारों का काम मशीनें करने लगीं। बड़ी–बड़ी ट्रांसपोर्ट की गाडियाँ मार्केट में आ गईं और धीरे–धीरे पल्लेदारी का काम कम होता चला गया। इसी बीच ममता (पाँगा) की तबीयत खराब रहने लगी। जाँच में पता चला कि उसके दिल में छेद है जिसका इलाज सम्भव नहीं था और कुछ महीनों बाद पाँगा चल बसी। सबसे बड़ी बेटी कमलेश (चुहिया) की पीठ पर बचपन से कूबड था। उसकी शादी पंजाब के एक गाँव में कर दी गई। उसके पति का एक पैर जन्म से ही बेकार था। शादी के बाद पहले बच्चे को जन्म देते हुए चुहिया ने प्राण त्याग दिए। चुहिया ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसके लालन पोषण के लिए उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सोहन लाल ने अपने बेटे कल्लू का दाखिला एक नामी प्राइवेट स्कूल में करवाया पर घर में माँ–बाप के अत्याधिक लाड़–प्यार के कारण कल्लू ने कभी पढ़ाई की तरफ खास ध्यान नहीं दिया जिसके पारिणाम स्वरूप वह दो बार एक ही कक्षा में फेल हो गया। बाद में कल्लू के पिता ने उसका दाखिला सरकारी विद्यालय में करवा दिया परंतु कल्लू का मन पढ़ाई में कम और आवारागर्दी में ज्यादा लगता था। इसी बीच सोहन लाल की आर्थिक हालत पतली होती जा रही थी। सोहन लाल ने अपनी बेटी आशा की शादी इस दौरान जैसे–तैसे कर दी। अब घर में केवल कल्लू और उसके माता–पिता रह गए। एक दिन काम करते समय सोहन लाल के पैर पर मशीन का कोई बड़ा पुर्जा गिर पड़ा जिससे उसका पैर फिर कभी अपनी सामान्य स्थिति में नही आ पाया। हाथ में अब छड़ी लेकर चलना पड़ता था और अधिकांशतः वह चारपाई पर ही पड़ा रहता। अब कमाई के सभी साधन बंद हो गए। कल्लू अब तक लगभग सत्रह वर्ष का हो चुका था। वह पढ़ा–लिखा तो था नहीं इसलिए अपने जीजा (आशा का पति) के साथ प्लंबर का काम करने लगा। परंतु इतनी आमदनी नहीं हो पाती की सुख– चैन से दिन कटें। सोहन लाल ने कल्लू का विवाह अपनी जानकारी में, गरीबी–गरीबी में करवा दिया। समय अपनी गति से चलता रहा, कल्लू के दो बच्चे हुए, बड़ा बेटा और छोटी बेटी। कल्लू को अब सट्टा खेलने की और

शराब पीने की बुरी लतें पड़ गईं। कभी काम पर जाना, कभी शराब पीकर घर में पड़े रहना, यह आम बात हो गई। घर में कलह होने लगी। कल्लू की बीवी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गयी और फिर कभी वापस ना आई। कल्लू की माँ जो एक समय पर कभी शांत नही रहती थी, अब उसकी आवाज यदा कदा ही आती। सोहन लाल की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। कल्लू नालायक निकला, पड़ोस के कुछ लोगों ने कुछ दिनों तक सोहन लाल की आर्थिक रूप से मदद की, पर कोई कब तक मदद करता। समय बीतने के साथ हालात बद से बदतर होते चले गए। कल्लू ने प्राइवेट बस में कंडक्टर की नौकरी पकड़ ली पर अपनी बुरी आदतें नही छोड़ीं। कल्लू के माता–पिता को समझ में आ गया कि उनका बेटा गलत राह पर है और उनकी मेहनत की कमाई जो उनका घर था, वो कल्लू की बुरी आदतों की भेंट चढ़ सकता है। उन्होने वसीयत बनवाई जिसके अनुसार उन्होने अपना मकान, उनके मरने के बाद उनकी बेटी (आशा) के नाम लिख दिया।

बुरी हालत में, गरीबी और बीमारी के चलते सोहन लाल ने अपने प्राण छोड़े। कल्लू की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि सोहन लाल की अन्त्येष्टि का खर्च पड़ोसियों ने मिलजुल कर किया। कल्लू और कल्लू की माँ, बस अब दो प्राणी उस घर में रह गए। कल्लू का जीजा (आशा का पति) कभी–कभार उनकी आर्थिक मदद किया करता था और प्रत्येक की गई मदद को अपने पास एक डायरी में लिख लेता। खाने पीने के लाले पड़ने लगे। कल्लू आये दिन अपनी माँ से लड़ता। कल्लू की माँ की विधवा पेंशन आती थी, कल्लू उसमें से शराब पीने और सट्टा खेलने को पैसे मांगता और ना देने पर अपनी माँ से मार पिटाई करता। पड़ोसी बीच–बचाव करते पर ये सिलसिला लगभग रोज का हो गया तो पड़ोसियों ने भी किनारा कर लिया।

कल्लू बार–बार अपनी माँ से कहता कि इस मकान को बेच दे, जिस पर उनकी लड़ाई और भड़क जाती। कल्लू की माँ कहती "यो मेरा मुकान छे ...में मेहनत करर या बनायो छे ....या कोणी बेचूँ .....”। उधर कल्लू की बीवी ने कल्लू से तलाक ले लिया और बच्चे अपने पास ही रखे। चूँकि यह लोग गरीबी रेखा से नीचे के तबके में आते थे तो सरकार की तरफ से उन्हें हर महीने राशन मिलता, जिसमें कुछ किलो गेहूँ, चावल और चीनी मिलती। कल्लू की माँ इसी से घर चलाती। कुछ खाने में और तो कुछ बेचने में इस राशन का प्रयोग होता। कल्लू की माँ, कल्लू से बचाकर कुछ राशन टाँड़ (मचान) पर रखती। एक दिन कल्लू की माँ, प्लास्टिक की टूटी फूटी कुर्सी पर चढ़कर अपने घर की टाँड़ से वही गेहूँ उतार रही थी कि तभी कुर्सी कल्लू कि माँ और गेहूँ का वजन संभाल ना सकी और कुर्सी टूट गई। टूटी हुई कुर्सी का प्लास्टिक किसी नुकीले हथियार कि तरह कल्लू कि माँ की पसलियों में घुस गया। वह लहूलुहान हो गई। कल्लू घर पर नहीं था इसलिए कुछ पड़ोसी कल्लू की माँ को सरकारी अस्पताल ले गए। आशा को जब इस दुर्घटना की खबर लगी तो वो सरकारी अस्पताल से अपनी माँ की छुट्टी करवा कर अपने घर ले गई। उसका कहना था की वो किसी निजी अस्पताल में अपनी माँ का इलाज करवाएगी। लगभग एक सप्ताह बाद वो अपनी माँ को वापस लेकर आई, जिसके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दो दिन बाद कल्लू की माँ उसी घाव का सही व समय पर इलाज ना होने के कारण चल बसी। कुछ लोगों से पता चला कि आशा ने अपनी माँ का कोई इलाज नहीं करवाया था।

खैर, अब कल्लू अकेला था। वह एक कॉल सेंटर में सफाई का काम करने लगा। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी पर कहते हैं ना कि बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना बड़ा कठिन होता है। एक दिन वह कॉल सेंटर से किसी का मोबाइल उठा लाया और गली में कुछ लोगों को बताने लगा कि मोबाइल उसे रास्ते में पड़ा मिला है। पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने उससे वह मोबाइल 200 रुपये में ले लिया। इस घटना के बाद लाजमी सी बात है, उसकी यह नौकरी भी चली गई या यों कहना ठीक होगा कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कल्लू महाराज के दिन फिर खराब होने शुरू हो गए। कभी किसी से और कभी किसी से, उधार माँग कर अपना काम चलाने लगा। अपने घर में कुछ जुआरियों को जुआ खेलने देता जिसके बदले वो उसे कुछ पैसे दे देते। किसी ने पुलिस को इस बाबत सूचना दे दी, कल्लू को पुलिस के कुछ डंडे पड़े और उसका यह काम भी बंद हो गया।

बुरी आदतों और भुखमरी के चलते कल्लू की तबीयत खराब रहने लगी और आखिरकार कल्लू स्वर्ग या नर्क पता नहीं कहाँ, पर सिधार गया। वसीयत के अनुसार आशा उस मकान की नई मालकिन बनी जिसे कल्लू की माँ और बाप ने बड़े चाव और गर्व से बनाया था। आशा का अपना घर (ससुराल) वहाँ से दूर था जिसके चलते वह दोनों तरफ ध्यान नहीं रख पा रही थी और इसीलिए उसने अपने मायके वाला घर बेच दिया। यह थी कल्लू की माँ और उसके परिवार की कहानी।

यह कहानी वास्तव में कहानी नहीं है। यह सब सच है और मैं खुद इस कहानी का साक्षी हूँ। समय बड़ा बलवान है इस कथन पर मेरा विश्वास और गहरा गया है। हम सब अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। मेरे साथ भी यही हुआ। कई बार लगता है कि काश कल्लू कि माँ को मैं ही अस्पताल ले जाता, उसका इलाज करवाता, शायद वो बच जाती, कुछ दिन और जिंदा रहती। पर मैं अपनी रोजमर्रा की निजी व व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त था। कई बार यही सब सोचते–सोचते एक अपराध बोध सा मन में लिए मैं सो जाता हूँ। आज भी कभी–कभी कल्लू की माँ सपने में आकर कहती है "नन्हें (मेरा घर का नाम)....मेरे कल्लू का ध्यान रखना" और मैं सपने में भी उसे नहीं बता पता कि "आंटी जी आपका कल्लू अब नहीं रहा और आपका मकान भी बिक चुका है।"

वरिष्ठ प्रबंधक
प्रधान कार्यालय सतर्कता विभाग

निष्काम कर्म ही सर्वोत्तम कार्य है, जो तृप्ति प्रदाता है और व्यक्ति और समाज की शक्ति बढ़ाता है। – पंडित सुधाकर पांडेय

हिंदी कार्यशालाएं

अंचल कार्यालय कोलकाता

स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, रोहिणी

अंचल कार्यालय गुरूग्राम

अंचल कार्यालय नोएडा

अंचल कार्यालय बरेली

अंचल कार्यालय भोपाल

राजभाषा संगोष्ठी

अंचल कार्यालय गुरूग्राम

18 जुलाई, 2022 को अंचल कार्यालय गुरुग्राम में ''राजभाषा कार्यान्वयन एवं प्रयोग'' विषय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता आँचलिक प्रबंधक गुरुग्राम ने की तथा स्थानीय शाखा प्रबंधकों को सहभागिता के लिए आमंत्रित किया गया था।

अंचल कार्यालय भोपाल

आँचलिक प्रबंधक भोपाल श्री अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में 01 सितंबर, 2022 को भोपाल में "ग्राहक सेवा में हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा का महत्व" विषय पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में विभिन्न शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन बैंक के माध्यम से विशेषकर हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हुए करने पर चर्चा हुई।

स्वदेशप्रेम, स्वधर्मभक्ति और स्वावलंबन आदि ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक मनुष्य में होने चाहिए। – रामजी लाल

विशेष पल

31 जुलाई, 2022 को आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य एवं नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा पी.एम. स्वनिधि महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। इस आयोजन में पंजाब एवं प्रशासक, केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी द्वारा पी.एम. स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत शीर्ष प्रदर्शकों को प्रशस्ति–पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पंजाब एण्ड सिंध बैंक क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय चंडीगढ़ में पदस्थ उप महाप्रबंधक श्री अशनी कुमार ने भी माननीय राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी के कर कमलों से प्रशस्ति–पत्र प्राप्त किया।

स्वतंत्रता दिवस समारोह 2022

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है

दीपों का यह पर्व आपके जीवन को सुख-समृद्धि से रोशन करे

हमारे सभी ग्राहकों और संरक्षकों को

शुभ दीपावली

शून्य प्रसंस्करण शुल्क

पीएसबी अपना घर
ब्याज दर 8.13*%

पीएसबी अपना वाहन
ब्याज दर 8.20*%

पीएसबी गोल्ड लोन
ब्याज दर 8.25%

*नियम एवं शर्तें लागू *ब्याज दर-रेपो रेट से जुड़ा

अधिक जानकारी के लिए हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें, या
हमारी वेबसाइट **https://punjabandsindbank.co.in** देखें

ईमेल **ho.customerexcellence@psb.co.in**

1800 419 8300 (टोल फ्री) | @PSBIndOfficial हमें फॉलो करें